लेटर्स पेटेंट आवेदन

समक्ष आर एस नरूला, मुख्य न्यायमूर्ति और प्रेम चंद जैन, न्यायमूर्ति

बी. आर. कपूर-अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ, आदि- उत्तरदाता।

1973 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 609।

17 मई, 1975।

भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम 1954-नियम 2 (जी) 3 (3) (बी) और 4-भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम 1954-नियम 2,4,8 और 9-भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग शक्ति का निर्धारण) विनियम 1955-भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम 1954-नियम 2 और 9 (1)-भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955-विनियम 2,5 (3) 8 और 9-अखिल भारतीय सेवा अधिनियम (1951 का 61)-धारा 3 (1) और (4)- पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त अधिकारीआवंटन का वर्ष-प्रतिनियुक्ति और केंद्रीय आरक्षित कोटा का निर्धारण-क्या राज्य सरकार द्वारा कैडर की संख्या में बदलाव किए बिना इसका अधिक उपयोग किया जा सकता है-राज्य सरकार ने इस कोटे का अधिक उपयोग किया और उन रिक्तियों के लिए चुनिंदा सूची अधिकारियों को नियुक्त किया- अधिकारियों की सूची चुनें-क्या वे अपने आवंटन के वर्ष का निर्धारण करने के लिए इस तरह की कार्यावधि का लाभ उठा सकते हैंवरिष्ठता नियमों का नियम 3 (3) (बी)-क्या इसे अन्य नियमों और विनियमों से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम 1954 के नियम 3 के उप-नियम 3 को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट है कि पदोन्नति द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 7 के अधीन यथा उपबंधित प्रतियोगिता द्वारा सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों में सबसे कनिष्ठ अधिकारी के आवंटन का वर्ष सौंपा जाना है, जो प्रोन्नति द्वारा इस प्रकार का कार्यपालन प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व की तारीख से किसी वरिष्ठ पद पर निरंतर कार्य करता था। संक्षेप में इसका अर्थ है कि जिस तारीख से चयन सूची में एक अधिकारी ने भारतीय पुलिस सेवा में अपनी मूल नियुक्ति तक बिना किसी विराम के प्रत्येक राज्य के संवर्ग की मद संख्या 1 के तहत निर्दिष्ट संवर्ग पद पर लगातार कार्य किया है, वह उसका वर्ष निर्धारित करता है।

(पैरा 15)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम 1954 और भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग शक्ति निर्धारण) विनियम 1955 के अधीन संवर्ग की संख्या और संरचना का अपना मूल है और यदि संवर्ग अधिकारी उपलब्ध हैं तो चयनित सूची अधिकारियों को संवर्ग पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार एक चयनित सूची अधिकारी को इस प्रकार नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं है। इस स्थिति में, राज्य सरकार

के लिए राज्यों के लिए निर्धारित कोटा से अधिक केंद्रीय या प्रतिनियुक्ति आरक्षित कोटा में उपलब्ध कार्मिक पदों पर आईपीएस अधिकारियों को भेजने की अनुमति नहीं है और इस तरह अपने अधीन वरिष्ठ पदों में रिक्तियां पैदा होती हैं और उन रिक्तियों को भरने के लिए चयन सूची अधिकारियों में से। प्रतिनियुक्ति आरक्षित का उद्देश्य राज्य सरकार को ऐसे संवर्ग पदों को संभालने के लिए संवर्ग अधिकारियों की अपनी अस्थायी और अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए एक कुशन प्रदान करना है जो अल्पावधि के लिए अस्थायी रूप से आवश्यक हैं। संवर्ग की संख्या संवर्ग शक्ति विनियमों के तहत तय की गई है और यह एक बेकार औपचारिकता नहीं है जिसे राज्य सरकार की प्यारी इच्छा पर मंजूरी दी जा सकती है। राज्य सरकार नियम 4 (2) या उसके प्रावधान के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संवर्ग अनुसूची की मद संख्या 2 और 5 के खिलाफ पदों की संख्या बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। यदि ऐसी शक्ति मौजूद मानी जाती है, तो संवर्ग नियमों और संवर्ग शक्ति विनियमों का उद्देश्य विफल हो जाएगा। सेवा के उचित संचालन के लिए और प्रत्यक्ष भर्तियों और चयन सूची अधिकारियों के बीच किसी भी तनावपूर्ण संबंध से बचने के लिए, राज्य सरकार केंद्रीय और प्रतिनियुक्ति आरक्षित कोटा का अधिक उपयोग कानून के अनुसार पहले संवर्ग की संख्या और संरचना को बढ़ाए बिना नहीं कर सकती है।

(पैरा 50)

अभिनिर्धारित किया गया कि केन्द्रीय सरकार को आबंटन के वर्ष का निर्धारण करने के लिए एक वरिष्ठ पद में निरंतर कार्यपालन देखना होगा और इस निरंतर कार्यपालन के लाभ का दावा किया जा सकता है यदि कार्यपालन उचित और कानूनी है, अर्थात् कानून के अनुसार। एक अधिकारी अपने आवंटन के वर्ष के निर्धारण के लिए निरंतर कार्यपालन के लाभ का दावा नहीं कर सकता है यदि कानून के तहत उसे कार्यपालन करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार के अनुचित कार्य के लिए जो संवर्ग नियमों और संवर्ग शक्ति विनियमों के खिलाफ है। यदि कानूनी रूप से किसी वरिष्ठ पद में कोई निरंतर कार्यपालन नहीं हो सकता है, लेकिन अति उपयोग के कार्य के लिए, जो अनुचित है, तो निश्चित रूप से आवंटन के वर्ष का निर्धारण करते समय इस तरह के कार्यपालन को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार, जहां राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति और केंद्रीय आरक्षित कोटा का अत्यधिक उपयोग करती है, जिससे कैडर पद में एक रिक्ति पैदा होती है और चयनित सूची अधिकारियों को ऐसी रिक्तियों के लिए कार्य करने के लिए नियुक्त करती है, तो चयनित सूची अधिकारियों द्वारा इस तरह के कार्यपालन की अवधि को उनके आवंटन के वर्ष का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 52 और 53)

अभिनिर्धारित किया गया कि सेवा के उचित कामकाज के लिए, सभी नियमों और विनियमों के सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। यदि एक नियम को अलग-अलग और अन्य नियमों और विनियमों से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाता है, तो चौंका देने वाले और भ्रमित करने वाले परिणाम आने की संभावना है। यदि आबंटन के वर्ष का निर्धारण करने के लिए किसी अन्य उपबंध पर ध्यान नहीं दिया जाता है और केवल वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (ख) के उपबंधों पर ध्यान दिया जाता है, तो अन्य सुसंगत नियमों और विनियमों के उपबंध निरर्थक हो जाएंगे। नियम और विनियम बनाते समय अटकलों पर कुछ नहीं छोड़ा गया है। इस प्रकार वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (बी) को सेवा को नियंत्रित करने वाले अन्य सभी नियमों और विनियमों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उनसे स्वतंत्र नहीं होना चाहिए।

(पैरा 56)

माननीय न्यायमूर्ति श्री बाल राज तुली के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अधीन लेटर्स पेटेंट अपील 16 जुलाई, 1973 को 1972 के सी. डब्ल्यू. संख्या 52 में पारित की गई।

याचिकाकर्ता की ओर से जे. एन. कौशल, अधिवक्ता, एम. आर. अग्निहोत्री, अधिवक्ता।

एच. एल. सिब्बल, कुलदिप सिंह के साथ अधिवक्ता और आर. सी. सेतिया, प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए अधिवक्ता।

7 से 17 प्रत्यर्थियों की ओर से आर. एस. मित्तल के साथ अधिवक्ता आनंद स्वरूप और अधिवक्ता के. एस. चौधरी।

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए मोहिंदर जीत सिंह सेठी, अधिवक्ता।

फैसला

जैन, न्यायमूर्ति:-

(1) मेरा यह निर्णय और आदेश-

(i) 1973 का एल. पी. ए. 609,634,659 और 672, जो बी. आर. कपूर द्वारा दायर 1972 की सिविल रिट संख्या 52 में दिनांक 16 जुलाई, 1973 के इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से उत्पन्न होता है;

(ii) 1973 का एल. पी. ए. 633,671 और 694, सिविल रिट संख्या में दिए गए इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के उसी आदेश से उत्पन्न होता है।

(iii) सुखपाल सिंह द्वारा दायर सिविल रिट संख्या 1973 का 3396,

कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न के रूप में, इन सभी अपीलों और रिट याचिकाओं में उत्पन्न होता है।

(2) बी. आर. कपूर (जिसे इसके पश्चात् अपीलार्थी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) एक रिट याचिका, जिसे आंशिक रूप से इस परिणाम के साथ अनुज्ञात किया गया था कि राहत के लिए जिसे मंजूर नहीं किया गया था, बी. आर. कपूर ने 1973 का एल. पी. ए. 609 दाखिल किया है, जबकि भारत संघ, पंजाब राज्य और एक जे. एस. आनंद ने राहत के विरुद्ध क्रमशः 1973 का एल. पी. ए. 634,672 और 659 दायर किया है, जो कि विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को दी गई थी। (B. R. Kapur). अन्य रिट याचिका (1971 की सिविल रिट संख्या 1959), जिसे हरजित सिंह द्वारा दायर किया गया था, को पूरी तरह से अनुमति दी गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश के उस निर्णय के खिलाफ, तीन लेटर्स पेटेंट अपीलें जो कि 1973 की एल पी ए 633,671 और 694 हैं, क्रमशः भारत संघ, पंजाब राज्य और जे. एस. आनंद द्वारा दायर की गई हैं।

(3) सुखपाल सिंह ने 1973 का सिविल रिट नंबर 3396 दाखिल किया है, जिसमें उसी राहत के लिए प्रार्थना की गई है जैसा कि बी. आर. कपूर और हरजित सिंह ने दावा किया था। इस याचिका पर ऊपर निर्दिष्ट लेटर्स पेटेंट अपीलों के साथ एक खंड पीठ द्वारा सुनवाई करने का आदेश दिया गया था।

(4) हालांकि विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय में विस्तृत तथ्य दिए गए हैं, फिर भी बी आर कपूर द्वारा दायर रिट याचिका में दिए गए निर्णय के खिलाफ दायर अपीलों में हमारे सामने उठाए गए विवाद का फैसला करने के लिए, उस मामले की कुछ मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता है।

(5) अपीलार्थी (बी. आर. कपूर) पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा किए गए चयन के आधार पर 2 अप्रैल, 1951 को कार्यवाहक पुलिस उपाधीक्षक के रूप में शामिल हुआ। उन्हें परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया गया था और अप्रैल, 1953 में दो साल की परिवीक्षाधीन अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर उनकी पुष्टि की गई थी। सितंबर, 1960 में भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के तहत तैयार की गई चयन सूची में उनका नाम लाया गया था। उन्हें सहायक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो भारतीय पुलिस सेवा के कैडर में एक वरिष्ठ पद था और 24 नवंबर, 1960 के आदेश द्वारा पुलिस अधीक्षक के पद के बराबर था। उन्होंने 30 नवंबर, 1960 को उस पद का कार्यभार संभाला। मई, 1961 में, पंजाब सरकार ने खेल और युवा कार्यक्रम के निदेशक और सरकार, पंजाब, खेल विभाग के उप सचिव का एक नया पद बनाया। अपीलार्थी को उस पद पर नियुक्त किया गया था जो उन्होंने नवंबर, 1962 तक संभाला था, जिस महीने में उन्हें पंजाब सरकार द्वारा अतिरिक्त नियंत्रक भंडार, पंजाब नियुक्त किया गया था। 19 जुलाई, 1965 को उन्हें सूचित किया गया कि छुट्टी से लौटने पर उन्हें कमांडेंट, 40वीं बटालियन, पी ए पी जम्मू और कश्मीर के रूप में तैनात किया गया है और उन्हें अपनी छुट्टी समाप्त होने की तारीख से स्वीकार्य अधिकतम समय के भीतर अपने कर्तव्यों का प्रभार संभालने के लिए तुरंत वहां जाना चाहिए उन्होंने 29 जुलाई 1965 को उस पद का कार्यभार संभाला था। उन्हें कमांडेंट, पी ए पी, 40वीं बटालियन के पद से कमांडेंट, पी ए पी, बटालियन नंबर 25, अजनाला के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया और उन्होंने 12 जुलाई, 1966 को नए पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने 24 अक्टूबर, 1966 को उस पद का कार्यभार छोड़ दिया, लेकिन माना जाता था कि वे 31 अक्टूबर, 1966 तक उस पद पर रहे, जो पंजाब राज्य के पुनर्गठन की पूर्व संध्या है। पुनर्गठन के बाद, उन्हें नए पंजाब राज्य में नियुक्त किया गया और उन्हें 1 नवंबर, 1966 को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) पंजाब के रूप में तैनात किया गया, जो एक वरिष्ठ पद था। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 6 दिसंबर, 1969 को जारी अधिसूचना द्वारा, अपीलार्थी को 3 सितंबर, 1969 से संवर्ग अनुसूची के मद, 3 में दिखाए गए वरिष्ठ पद में एक रिक्ति के विरुद्ध पर्याप्त क्षमता में भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी को आवंटन का वर्ष निर्धारित करने और भारतीय पुलिस सेवा में उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न उठा। उन्हें दिनांक 2/3 फरवरी, 1971 के ज्ञापन द्वारा सूचित किया गया था कि भारत सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप उन्हें 1963 का आवंटन वर्ष सौंपा था और उन्हें आईपीएस श्रेणीकरण सूची में सुबे सिंह से नीचे और एस आर शर्मा से ऊपर रखा गया था। यह जानकारी प्राप्त होने पर, अपीलार्थी ने अपने 8 फरवरी, 1971 के पत्र द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब से अनुरोध किया कि वह उसे अपनी वरिष्ठता के निर्धारण का आधार प्रदान करे। उस पत्र के उत्तर में, अपीलार्थी को कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक विभाग, भारत सरकार से पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, गृह (पुलिस)-विभाग, चंडीगढ़, दिनांक 11 जनवरी, 1971 को संबोधित पत्र की एक प्रति भेजी गई थी, जिसमें (अपीलार्थी के संबंध में) यह निम्नानुसार कहा गया थाः –

"उन्हें पहली बार 1960 में चयन सूची में शामिल किया गया था। वे 29 जुलाई, 1965 से ही लगातार कैडर पद पर रहे थे। हमारे पत्र संख्या 10/13/65-ए आई एस (I) दिनांक 5 अप्रैल, 1966 को ध्यान में रखते

हुए 29 जुलाई, 1965 से 31 अक्टूबर, 1966 तक की अवधि के लिए कैडर पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी गई थी। हमारे पत्र संख्या 38/9/66-AIS (III) दिनांक 13 अगस्त, 1968 के माध्यम से 1 नवंबर, 1966 से उनके कार्यकाल को मंजूरी दी गई थी। इसलिए 1 नवंबर, 1966 से उनकी सेवाओं को वरिष्ठता के उद्देश्य से गिना जा सकता है। श्री सुबे सिंह (आर. आर.-1963) सबसे कनिष्ठ प्रत्यक्ष भर्ती हैं जिन्होंने 1 नवंबर, 1966 से पहले की तारीख से वरिष्ठ संवर्ग के पदों पर कार्य करना शुरू कर दिया था। इसलिए, आईपीएस (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1954 के नियम 3 (3) (बी) के तहत, श्री बलराज कपूर को वर्ष 1963 के लिए आवंटित किया जा सकता है। समान नियमों के नियम 4 (4) के तहत, उन्हें पंजाब की आई. पी. एस. श्रेणीकरण सूची में श्री सुबे सिंह (आर. आर.-1963) से नीचे और श्री एस. आर. शर्मा (आर. आर.-1964) से ऊपर रखा जा सकता है।"

(6) पत्र संख्या 2/13/69-AIS (III) दिनांक 23 मार्च, 1971 द्वारा, भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय (कार्मिक विभाग) ने 29 जुलाई, 1965 से 1 जुलाई, 1966 तक की अवधि के लिए भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग पद में अपीलार्थी की कार्यवाहक नियुक्ति को मंजूरी दी।

(7) इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अवलोकन किया गया था, पंजाब सरकार और भारत सरकार के बीच पत्राचार और उनके लिखित बयानों में लिए गए रुख से यह स्पष्ट है कि 2 जुलाई, 1966 से 31 अक्टूबर, 1966 तक कमांडेंट, 25 वीं बटालियन, पी ए पी के पद पर अपीलार्थी की कार्यवाहक सेवा को मंजूरी नहीं दी गई थी, क्योंकि उस बटालियन को 1 मार्च, 1966 से भारत सरकार द्वारा प्रभावी रूप से लिया गया था और उस पद को पंजाब राज्य के कैडर बल से हटा दिया गया था और माना जाता था कि उस अवधि के लिए अपीलार्थी की सेवा को भारत सरकार के अधीन माना जाता था, न कि पंजाब सरकार के तहत कैडर पद पर।

(8) 19 मई, 1971 को, अपीलार्थी ने पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब, चंडीगढ़ को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 2 जुलाई, 1965 से 31 अक्टूबर, 1966 की अवधि को शामिल करने के लिए संबंधित तिमाहियों के साथ मामले को उठाने का अनुरोध किया गया था। 2/13/69-ए. आई. एस. (III) दिनांक 23 मार्च, 1971 को पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को संबोधित किया गया था जिस पर उन्हें पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 1971 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि "चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए आपका अभ्यावेदन दाखिल किया गया है।"

(9) 10 नवंबर, 1971 के आदेश द्वारा, प्रतिवादी संख्या 4, गुरभागत सिंह और प्रतिवादी संख्या 5, एस. एस. पलटा को क्रमशः उप महानिरीक्षक (सुरक्षा) पंजाब, चंडीगढ़ और अतिरिक्त उप महानिरीक्षक, जालंधर रेंज के रूप में पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने आबंटन के वर्ष के समनुदेशन और भारतीय पुलिस सेवा में अपनी वरिष्ठता के परिणामी निर्धारण और उत्तरदाता संख्या 4 और 5 की पदोन्नति के विरुद्ध व्यथित महसूस करते हुए, जो उसके अनुसार उससे कनिष्ठ थे, निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए 1972 की सिविल रिट संख्या 52 दाखिल कीः -

(i) याचिकाकर्ता को 1963 को आवंटन वर्ष के रूप में निर्दिष्ट करने वाले भारत सरकार के आदेश और 25 अगस्त, 1971 के आदेश को रद्द करते हुए, इसे तय किए बिना अपना प्रतिनिधित्व दाखिल करना;

(ii) 10 नवंबर, 1971 के आदेश को रद्द करते हुए, उत्तरदाता 4 और 5 को पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया;

(iii) यह घोषणा कि याचिकाकर्ता वर्ष 1960 से 1969 तक कैडर पद पर बना रहा या बना रहा है;

(iv) उत्तरदाता 1 और 2 को खेल और युवा कार्यक्रम के निदेशक और सरकार के उप सचिव के पद के साथ-साथ स्टोर के अतिरिक्त नियंत्रक के पद को एक वरिष्ठ पद, यानी कैडर पद के समतुल्य पद के रूप में घोषित करने का निर्देश देने के लिए एक अनिवार्य रिट जारी करना;

(v) वरिष्ठता नियमों के नियम 2 (जी) के प्रावधानों को भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करना और इसलिए, कानून में अमान्य और निष्क्रिय;

(vi) याचिकाकर्ता के आवंटन के वर्ष 1955 के आधार पर याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को समायोजित करने के लिए उत्तरदाता 1 और 2 को एक आदेश;

(vii) प्रत्यर्थियों 1 और 2 को याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को नए सिरे से निर्धारित करने और आवंटन के सही वर्ष के आधार पर और इस तथ्य के आधार पर कि याचिकाकर्ता वर्ष 1960 से 1969 तक कैडर पद पर बना रहा; और

(viii) प्रत्यर्थियों 1 और 2 को रिट याचिका के निर्णय तक प्रत्यर्थियों के बीच से चयन ग्रेड या डी आई जी में कोई और पदोन्नति करने से प्रतिबंधित करता है।

प्रतिवादियों की ओर से याचिका को चुनौती दी गई थी।

(10) मामले में विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष निर्धारण के लिए जो मुख्य बिंदु उठा और जिस पर सभी राहतें निर्भर थीं, वह यह था कि क्या वर्ष 1963 को आवंटन के वर्ष के रूप में अपीलार्थी को सही ढंग से सौंपा गया था या नहीं। अपीलार्थी ने दावा किया था कि वह इस आधार पर आवंटन के वर्ष के रूप में 1955 के हकदार थे कि 30 नवंबर, 1960 से, उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1954(इसके बाद वरिष्ठता नियम के रूप में संदर्भित किया जाता है) के नियम 2 (जी) में परिभाषित भारतीय पुलिस सेवा में उनकी मूल नियुक्ति तक लगातार एक वरिष्ठ पद पर माना जाना चाहिए।

(11) विद्वान एकल न्यायाधीश ने संगत नियमों के आलोक में दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय दिया:-

(i) अपीलकर्ता को मई, 1961 और 28 जुलाई, 1965 के बीच एक वरिष्ठ पद पर लगातार कार्य करने वाला नहीं माना जा सकता है, जिस अवधि के दौरान उन्होंने खेल निदेशक और सरकार, पंजाब के उप सचिव और अतिरिक्त स्टोर नियंत्रक का पद संभाला, जो पद 1960 में संशोधित वरिष्ठता नियमों के नियम 2 (जी) में परिभाषित वरिष्ठ पद नहीं थे।

(ii) उस अवधि के दौरान वरिष्ठ पद पर नहीं होने के कारण, अपीलकर्ता 29 जुलाई, 1965 से पहले किसी वरिष्ठ पद पर निरंतर कार्य का दावा नहीं कर सकता था, जैसा कि वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (बी) में विचार किया गया है।

(iii) किसी समकक्ष या उच्चतर पद को धारण करने का कोई महत्व नहीं था क्योंकि राज्य के संवर्ग के मद 1 में शामिल या विनिदष्ट पद पर निरंतर कार्य करना आवश्यक था;

(iv) अपीलकर्ता 29 जुलाई, 1965 से 31 अक्तूबर, 1966 तक 40वीं बटालियन और 25वीं बटालियन, पी एपी के पद पर बना रहा, जैसा कि भारत संघ के साथ-साथ पंजाब सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, और इसलिए, एक वरिष्ठ पद पर उसका निरंतर कार्य 29 जुलाई से शुरू हुआ। 1965 में और 3 सितंबर, 1969 से आईपीएस में नियुक्त होने तक वह लगातार बने रहे और वह अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने के हकदार थे जैसे कि एक वरिष्ठ पद पर उनका निरंतर कार्य 29 जुलाई, 1965 को शुरू हुआ था।

(v) यह कि पुलिस महानिरीक्षक के किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के कारण यह नहीं था कि खेल और युवा कार्यक्रम निदेशक और भंडार के अतिरिक्त संरक्षक के पदों को कैडर पद के समकक्ष घोषित नहीं किया गया था, बल्कि यह समय बीतजाने और 22 अप्रैल, 1967 से नियम 2 (जी) में वरिष्ठ पद की परिभाषा में संशोधन के कारण था।

(vi) 3 सितम्बर, 1969 को लागू किया गया नियम लागू हो और उसके बाद पंजाब सरकार द्वारा पदों के समीकरण की पूर्वव्यापी घोषणा नहीं की जा सके।

(vii) अपीलकर्ता के मामले में अगला नियम लागू नहीं होता क्योंकि उसका नाम चयन सूची में लाए जाने के बाद उसे 30 नवम्बर, 1960 को संवर्ग पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद उसके कनिष्ठों को संवर्ग पदों पर नियुक्त किया गया था।

(viii) उक्त नियमों के नियम 3(3)(ख) के अनुसार आबंटन का वर्ष निर्धारित करने के बाद अपीलकर्ता की वरिष्ठता वरिष्ठता नियमावली के नियम 2(छ) के अधीन निर्धारित की जानी थी और आबंटन का वर्ष 29 जुलाई, 1965 को उस तारीख के रूप में लेकर निर्धारित किया जाना था, जिस तारीख से आवेदक किसी वरिष्ठ पद के विरुद्ध निरंतर कार्य करता है। जैसा कि नियमों के नियम 2 (जी) में परिभाषित किया गया है, 3 सितंबर, 1969 से सेवा में नियुक्त होने तक निर्बाध रूप से शुरू हुआ और जारी रहा;

(ix) कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की पदोन्नति को रद्द नहीं किया जा सकता है; और

(x) अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका में कोई आधार नहीं था कि वरिष्ठता नियमों के नियम 2 (जी) के प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत घोषित किया जाना चाहिए।

(12) अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री कौशल ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष के खिलाफ अपना मुख्य हमला किया कि अपीलकर्ता को मई, 1961 और 28 जुलाई, 1965 के बीच एक वरिष्ठ पद पर लगातार कार्य करने वाला नहीं माना जा सकता है, जिस अवधि के दौरान उन्होंने खेल निदेशक और सरकार के उप सचिव के पदों पर कार्य किया। पंजाब और अतिरिक्त भंडार नियंत्रक, जो पद वरिष्ठ पद नहीं थे, जैसा कि 1960 में संशोधित वरिष्ठता नियमों के नियम 2 (जी) में परिभाषित किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, उक्त पदों पर नियुक्ति की अवधि को आवंटन के वर्ष में गिना जाना चाहिए था क्योंकि ये पद कैडर पदों के बराबर थे। विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि अब भी राज्य सरकार उन पदों को कैडर पदों के बराबर घोषित कर सकती है जो अपीलकर्ता के पास थे और इस संबंध में एक निर्देश, मामले की परिधि में, राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जारी किया जाना चाहिए। विद्वान वकील के इस तर्क को उनके द्वारा यह आग्रह करके प्रमाणित किया गया था कि जिस अवधि के लिए अपीलकर्ता ने उन दो पदों पर कार्य किया है, पुराने नियम 2 (जी) के तहत घोषणा की शक्ति का

उपयोग किया जा सकता है और उस हद तक उक्त नियम के तहत शक्ति को संरक्षित माना जाएगा। उनके समर्थन में राम प्रकाश खन्ना और अन्य बनाम एसएएफ अब्बास और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप के फैसले पर मजबूत भरोसा किया गया था।

(13) इस मामले पर अपना विचारशील विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील के तर्क में कोई बल नहीं है। वरिष्ठता नियमों का नियम 2 (जी), जैसा कि मूल रूप से 1954 में बनाया गया था, निम्नानुसार है: –

'वरिष्ठ पद' का अर्थ भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की प्रत्येक अनुसूची के मद 1 के तहत शामिल पद से है, जो भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत बनाया गया है, या संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई पद।

'वरिष्ठ पद' की इस परिभाषा को 22 अप्रैल, 1967 से संशोधित किया गया था- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 27|47|64-एआईएस (III) (बी) के तहत। दिनांक 17 अप्रैल, 1967, ताकि निम्नानुसार पढ़ा जा सके:-
"2 (छ) 'वरिष्ठ पद' से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग शक्ति का निर्धारण) विनियमन, 1955 की अनुसूची में प्रत्येक राज्य के संवर्ग के मद 1 के अंतर्गत शामिल और विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है और इसमें उक्त संवर्ग के मद 2 और 5 में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या में शामिल पद और भारतीय नियम 4 के उप-नियम (2) के दूसरे परंतुक के तहत अस्थायी रूप से संवर्ग में जोड़ा गया पद शामिल है। पुलिस सेवा उपाध्यक्ष (संवर्ग) नियम, 1954, जब भर्ती नियमों के नियम 7 के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए अधिकारी द्वारा वरिष्ठ वेतनमान पर रखा जाता है।"

(14) अपीलकर्ता को 3 सितंबर, 1969 से भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, और उसकी वरिष्ठता का निर्धारण उस समय लागू वरिष्ठता नियमों के अनुसार किया जाना है। भारतीय पुलिस सेवा के प्रत्येक अधिकारी को आबंटन के वर्ष के असाइनमेंट का प्रावधान राष्ट्रीय नियमावली के नियम 3 में किया गया है और इसका उप-नियम (3) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में नियुक्त अधिकारी को आवंटन के वर्ष के असाइनमेंट से संबंधित है और जहां तक प्रासंगिक है, निम्नानुसार है: —

"3. आवंटन के वर्ष का असाइनमेंट:

(1) * * * *

(2)* * * *

(3) इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में नियुक्त अधिकारी के आवंटन का वर्ष होगा-

(क) जहाँ अधिकारी को किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा में नियुक्त किया जाता है, उस वर्ष के बाद का वर्ष जिसमें ऐसी परीक्षा आयोजित की गई थी;

(ख) जहां भर्ती नियमावली के नियम 9 के अनुसार प्रो-मोशन द्वारा अधिकारी को सेवा में नियुक्त किया जाता है, उन नियमों के नियम 7 के अनुरूप सेवा में भर्ती किए गए अधिकारियों में से सबसे कनिष्ठ अधिकारी के आवंटन का वर्ष, जिन्होंने पूर्व द्वारा ऐसे पदाधिकरण के प्रारंभ होने

की तारीख से पहले की तारीख से लगातार किसी वरिष्ठ पद पर कार्य किया है;

बशर्ते कि भर्ती के नियम 9 के अनुसार सेवा में नियुक्त किसी अधिकारी के आवंटन का वर्ष (नियम जिसने उन नियमों के नियम 7 के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए किसी अधिकारी की तारीख से पहले की तारीख से लगातार किसी वरिष्ठ पद पर कार्य करना शुरू कर दिया था) संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा तदर्थ रूप से निर्धारित किया जाएगा:

स्पष्टीकरण 1- भर्ती नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) के अनुसार पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किसी अधिकारी के संबंध में, किसी वरिष्ठ पद पर उसके निरंतर कार्य की अवधि, उसकी वरिष्ठता को कम करने के प्रयोजनों के लिए, केवल चयन सूची में उसके नाम के एकांत की तारीख से या ऐसे वरिष्ठ पद पर उसकी कार्यवाहक नियुक्ति की तारीख से गिना जाएगा, जो भी बाद में हो।

परन्तु जहां राज्य पुलिस सेवा के किसी अधिकारी का नाम राज्य के पुनर्गठन से ठीक पहले लागू प्रवर सूची में शामिल किया गया था और ऐसे पुनर्गठन की तारीख के बाद तैयार की गई पहली चयन सूची में भी शामिल है, ऐसे अधिकारी का नाम प्रथम उल्लिखित चयन सूची में शामिल किए जाने की तारीख से लगातार प्रवर सूची में शामिल माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- एक अधिकारी को एक निश्चित तारीख से एक वरिष्ठ पद पर लगातार कार्य करने वाला माना जाएगा, यदि वरिष्ठ ग्रेड में उसकी पुष्टि की उस तारीख से अवधि के दौरान वह बिना किसी ब्रेक या सम्मान के वरिष्ठ पद पर बना रहता है, जो विशुद्ध रूप से अस्थायी या स्थानीय व्यवस्था के रूप में है।

स्पष्टीकरण 3- एक अधिकारी को किसी भी अवधि के दौरान एक वरिष्ठ पद पर कार्य करने वाला माना जाएगा, जिसके संबंध में संबंधित राज्य सरकार प्रमाणित करती है कि उसने ऐसा किया होगा, लेकिन छुट्टी या प्रशिक्षण पर उसकी अनुपस्थिति के लिए।

(15) पूर्व के प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि पदोन्नति द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त अपीलकर्ता की तरह एक अधिकारी को भर्ती नियमों के नियम 7 में किए गए प्रावधान के अनुसार सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों में से सबसे कनिष्ठ अधिकारियों के आवंटन का वर्ष निर्धारित करना होगा, जिन्होंने पदोन्नति कर्ता द्वारा इस तरह के कार्य शुरू करने की तारीख से पहले की तारीख से लगातार वरिष्ठ पद पर कार्य किया है। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि जिस तारीख से चयन सूची में शामिल किसी अधिकारी ने भारतीय पुलिस सेवा में अपनी मूल नियुक्ति तक बिना किसी विराम के प्रत्येक राज्य के कैडर के मद 1 के तहत निर्दिष्ट कैडर पद पर लगातार कार्य किया है, वह उसके आवंटन का वर्ष निर्धारित करता है। यह पूर्वोक्त नियम के आधार पर है कि यह निर्धारित किया जाना है कि किस तारीख से एक वरिष्ठ पद पर अपीलकर्ता का निरंतर कार्य शुरू हुआ।

(16) प्रारम्भ में यह अवलोकन किया जा सकता है कि विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष, अपीलार्थी का रुख यह था कि किसी वरिष्ठ पद पर उसका कार्यपालन 30 नवंबर, 1960 से, अर्थात् उस तारीख को, जिसको उसने सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद का कार्यभार संभाला था, संवर्ग की मद 1 के अधीन विनिर्दिष्ट पद से, आरम्भ हुआ था, किन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा यह पाया गया था कि अपीलार्थी को मई, 1961 में खेल निदेशक और सरकार, पंजाब, खेल विभाग के उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके पश्चात् नवंबर, 1962 में स्टोर के अतिरिक्त नियंत्रक के रूप में, जो पद वरिष्ठता नियमों के नियम 2 (छ) में दी गई परिभाषा के अनुसार वरिष्ठ पद नहीं थे, चाहे वे

संशोधित हों या अपरिवर्तित। विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और जैसा कि पहले देखा गया था, श्री जे. एन. कौशल द्वारा प्रस्तुत तर्क यह था कि पंजाब सरकार को अब उन पदों (अर्थात् खेल निदेशक और सरकार के उप सचिव का पद और स्टोरों के अतिरिक्त नियंत्रक का पद जिसके विरुद्ध अपीलार्थी को क्रमशः मई, 1961 और नवंबर, 1962 में नियुक्त किया गया था) को वरिष्ठ पदों के समतुल्य घोषित करने का निर्देश दिया जाए और भारत सरकार को उन पदों पर अपीलार्थी की सेवा को मंजूरी देने का निर्देश दिया जाए ताकि वह किसी वरिष्ठ पद पर लगातार कार्य करने का हकदार बन सके। तर्क, हालांकि सरल है, न तो प्रशंसनीय है और न ही आश्वस्त करने वाला। अपीलार्थी के संबंध में भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठता के आवंटन और निर्धारण के वर्ष के समनुदेशन का प्रश्न तभी उठा जब वह 3 सितंबर, 1969 को उस सेवा का सदस्य बना और उससे पहले उसे आबंटन के किसी वर्ष या भारतीय पुलिस सेवा में उसकी वरिष्ठता निर्धारित किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आबंटन वर्ष के समनुदेशन और वरिष्ठता के निर्धारण का निर्धारण सेवा में किसी अधिकारी की नियुक्ति के समय लागू नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। 3 सितंबर, 1969 को 'वरिष्ठ पद' की परिभाषा के अनुसार, राज्य सरकार के पास किसी भी पद को वरिष्ठ पद के समकक्ष घोषित करने की कोई शक्ति नहीं थी, यदि इसे नियम के संशोधन से पहले घोषित नहीं किया गया था। श्री कौशल के इस तर्क में कोई औचित्य नहीं है कि जिस अवधि के लिए अपीलार्थी कार्यवाहक था, उस अवधि के लिए घोषणा की शक्ति का प्रयोग पुराने नियम के तहत किया जा सकता था और उस हद तक पुराने नियम के तहत शक्ति को संरक्षित माना जाएगा। यह देखा जा सकता है कि विद्वान वकील की प्रस्तुति इस आधार पर आधारित है कि जिस लाभ का दावा किया जा रहा था, वह उस अवधि के दौरान था जब पुराना नियम लागू था। लेकिन इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता 1969 में अपीलार्थी सेवा का सदस्य बना और उसके बाद आवंटन के वर्ष के समनुदेशन और वरिष्ठता के निर्धारण का प्रश्न उठा। मैं यह समझने में विफल हूं कि 1969 में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा था, उसे निष्क्रिय शासन के तहत कैसे तय किया जा सकता है।

(17) राम प्रकाश खन्ना के मामले (उपर्युक्त) में निर्णय, जिस पर विद्वत वकील द्वारा बहुत अधिक भरोसा रखा गया था, वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है और न ही यह अपीलार्थी के विद्वत वकील के तर्क को साबित करने में मदद करता है। उस मामले में, राज्य सिविल सेवा के सदस्यों को आवंटित आवंटन के वर्ष, जिन्हें 1955 और 1956 में आई. ए. एस. में नियुक्त किया गया था, को प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा चुनौती दी गई थी। उनके लिए 'वरिष्ठ पद' की परिभाषा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1954 के अपरिवर्तित नियम 2 (छ) में निहित थी। उस मामले में पदोन्नत लोगों को 3 सितंबर, 1958 को भारत सरकार द्वारा आवंटन के वर्ष के रूप में 1948 सौंपा गया था और उसके बाद प्रत्यक्ष भर्तियों ने उस निर्णय के खिलाफ एक अभ्यावेदन किया जो 13 जनवरी, 1965 को बिहार राज्य द्वारा भारत सरकार को भेजा गया था। 4 जनवरी, 1966 को भारत सरकार ने इस आधार पर प्रत्यक्ष भर्तियों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देने का एक अस्थायी निर्णय लिया कि पिछला निर्णय गलत तथ्यों और गलत व्याख्या पर था। 14 अप्रैल, 1967 को बिहार राज्य ने इस आधार पर प्रत्यक्ष भर्तियों के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया कि उनके द्वारा आरोप लगाए गए तथ्य गलत थे। 20 सितंबर, 1967 को, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष भर्तियों के प्रतिनिधित्व की अनुमति दी और पदोन्नतियों की वरिष्ठता को फिर से निर्धारित किया, जिनमें से कुछ को आवंटन के वर्ष के रूप में 1950 सौंपा गया था, जबकि कुछ अन्य को आवंटन के वर्ष के रूप में 1952 सौंपा गया था। पदोन्नतियों ने एक रिट याचिका में उस आदेश पर मुख्य रूप से इस आधार पर महाभियोग चलाया कि भारत सरकार यह अभिनिर्धारित करने में गलत थी कि वह बिहार राज्य के लिए कैडर पद के समतुल्य पद की पूर्वव्यापी घोषणा करने के लिए सक्षम नहीं थी। वे उच्च न्यायालय में सफल हुए। 20 सितंबर, 1967 के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और एक निर्देश जारी किया गया था कि पदोन्नत व्यक्ति वर्ष 1958 में उन्हें सौंपे गए आवंटन के वर्ष को जारी रखेंगे। राम प्रकाश खन्ना और अन्य लोगों ने एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। मामले पर कुछ विस्तार से विचार करने के बाद, उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्यों ने रिपोर्ट के पैरा 13 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः –

"भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1954 की योजना यह है कि प्रत्येक अधिकारी को उसमें निहित प्रावधानों के अनुसार आवंटन का एक वर्ष सौंपा जाएगा। वर्तमान अपीलें उन पदोन्नतियों के आवंटन के वर्ष का प्रश्न उठाती हैं जिन्हें 1955 और 1956 में नियमों के प्रारंभ के बाद सेवा में पदोन्नत किया गया था। अतः नियम 3 (3) (ख) सीधे भर्तियों की तुलना में पदोन्नतियों के मामले में लागू होता है।"

(18) उनके अधिपत्य ने तब डी आर निम बनाम भारत संघ और उड़ीसा राज्य बनाम बी के महापात्रा में दो निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (बी) पर विचार किया गया था और उनका पालन किया गया था। (para 15) - "इस न्यायालय के निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तरह की कार्यावधि को अनुमोदित किया जाता है तो एक पदोन्नति प्राप्त व्यक्ति चयन सूची में नाम शामिल करने से पहले एक वरिष्ठ पद पर लगातार कार्य करने का लाभ प्राप्त कर सकता है। एक वरिष्ठ पद में कार्यपालन नियम 3 (3) के अनुप्रयोग में अपरिहार्य अवयवों में से एक है। (b). वरिष्ठता नियम के विनियमन में परिभाषित एक वरिष्ठ पद का अर्थ है राज्य के संवर्ग की मद 1 के तहत शामिल और निर्दिष्ट एक पद या संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई पद। यहां यह कहा जा सकता है कि वरिष्ठ पद की परिभाषा में वर्ष 1967 में अधिसूचना सं. 27/47/64-ए आई एस (III) ए, दिनांक 17 अप्रैल, 1967, और वरिष्ठ पद की नई परिभाषा 22 अप्रैल, 1967 को प्रभावी हुई। वर्तमान अपीलें वर्ष 1967 से पहले के वरिष्ठ पद की परिभाषा द्वारा शासित होती हैं। वरिष्ठ पद की प्रासंगिक परिभाषा में महत्वपूर्ण शब्द 'राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई भी पद' हैं।

(19) ऊपर पुनः प्रस्तुत टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले वर्ष 1967 में किए गए संशोधन से पहले 'वरिष्ठ पद' की परिभाषा द्वारा शासित थे। यह तथ्य रिपोर्ट के पृष्ठ 2355 पर पैरा 21 में किए गए उनके प्रभुता के अवलोकन से और स्पष्ट है, जो निम्नानुसार हैः -

* * यह अभिनिर्धारित करना कि जब तक पद को वरिष्ठ संवर्ग के पद के समतुल्य घोषित नहीं किया जाता है, तब तक पदोन्नत व्यक्ति को कार्य करने का लाभ नहीं मिल सकता है, सरकार की नीति को विफल कर सकता है। एक प्रवर्तक लंबे समय तक लगातार कार्य कर सकता है और उसका नाम कुछ समय बाद चयन सूची में शामिल किया जा सकता है। पुनः, एक व्यक्ति जो लंबे समय तक लगातार कार्य करता है, उसके बाद चयन सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को वंचित कर सकता है जो अन्यथा समान पद पर समान नियुक्ति के बाद पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता। जब राज्य सरकार को लगता है कि किसी वरिष्ठ पद के समतुल्य पद को अन्य बातों के साथ-साथ उस व्यक्ति की दक्षता के कारण घोषित करना वांछनीय है, जो उसे पदोन्नति का हकदार बनाता है, तभी उसे वरिष्ठ पद की अपेक्षित घोषणा द्वारा उस वरिष्ठ पद को देने की परिणामी आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसलिए एक पूर्वव्यापी घोषणा चीजों की योजना में व्यावहारिक के साथ-साथ उचित भी है।

(20) उपर्युक्त टिप्पणियों से पता चलता है कि मामले के न्यायाधीशों ने एक ऐसी स्थिति से निपटा जहां पदोन्नती पहले पद पर था और उसे बाद में वरिष्ठ पद घोषित किया गया था और यह उस स्थिति में था जब उनके प्रभुओं ने माना था कि पूर्वव्यापी घोषणा व्यावहारिक और उचित चीजों की योजना में थी। लेकिन तत्काल मामले में राम प्रकाश खन्ना के मामले में इस तर्क की पुष्टि करने के लिए निर्णय से समर्थन प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि उस समय जब आवंटन के वर्ष का असाइनमेंट और वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना था, तब लागू नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और मामले को पुराने नियमों को लागू करके निर्धारित किया जाना चाहिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, श्री कौशल का तर्क किसी भी बल और अस्वीकृति से रहित है।

(21) इसके बाद श्री एल. एस. कौशल ने तर्क दिया कि चूंकि पदोन्नति विनियमों के विनियम 8 का उल्लंघन किया गया था क्योंकि कनिष्ठ व्यक्तियों को वरिष्ठ पदों पर कब्जा करने की अनुमति दी गई थी, इसलिए अपीलार्थी को 'नियम के तहत अगला' के तहत पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए था। विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष इसी तरह का विवाद उठाया गया था और इसे इस प्रकार टिप्पणी करके खारिज कर दिया गया थाः

"याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने तब प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को खेल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और उसके बाद वह उद्योग विभाग में बने रहे, इसलिए उन्हें 'अगले नीचे के नियम' के तहत पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए था। निवेदन यह है कि उनके कनिष्ठ, सर्वश्री हरजीत सिंह और सुखपाल सिंह, पुलिस विभाग में एक कैडर पद पर कार्यरत रहे, जिस पद पर उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया होता और इसलिए, उन्हें माना जाना चाहिए कि वह खेल निदेशक और स्टोर के अतिरिक्त नियंत्रक के रूप में सेवारत अवधि के दौरान भी एक कैडर पद पर बने रहे। याचिकाकर्ता के मामले में 'नीचे का नियम' लागू नहीं होता है क्योंकि चयन सूची में उनका नाम लाए जाने के बाद, उन्हें 30 नवंबर, 1960 को एक कैडर पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद उनके कनिष्ठों को कैडर पदों पर नियुक्त किया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उन्होंने अपनी मर्जी से कैडर पद छोड़ दिया और खेल निदेशक का पद स्वीकार कर लिया। इसलिए, उनकी अनुपस्थिति में उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने का कोई सवाल ही नहीं था। मामले के इस दृष्टिकोण में, मैसूर राज्य बनाम एम. एच. बेल्लारी, राम लाई अग्रवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य, और मैसूर राज्य और एक अन्य बनाम पी. एन. नजंदिया और अन्य में निर्णयों के अनुपात का निर्णय याचिकाकर्ता के लिए कोई लाभ नहीं है।

(22) श्री कौशल विद्वत न्यायाधीश के उपरोक्त निष्कर्ष में किसी भी दुर्बलता की ओर इशारा नहीं कर सके और इसलिए मामले के इस पहलू पर आगे विस्तार करने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(23) श्री जे. एन. कौशल द्वारा कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया था।

(24) यह हमें बी. आर. कपूर के मामले में निर्णय के विरुद्ध भारत संघ, पंजाब राज्य और जे. एस. आनंद द्वारा दायर अपीलों (1973 का एल. पी. ए. 634,672 और 659) को प्रस्तुत करता है। इन अपीलों में मुख्य दलीलें श्री एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गईं, जिन्हें श्री आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री एम. एस. सेठी द्वारा अपनाया गया।

(25) श्री एच. एल. सिब्बल द्वारा उपर्युक्त तीन अपीलों में उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि 12 जुलाई, 1965 से 31 अक्टूबर, 1966 तक की अवधि, जब 25वीं बटालियन, पी. ए. पी. को भारत संघ द्वारा अधिग्रहित किया गया था, बी. आर. कपूर के निरंतर कार्यपालन को तोड़ा गया था और इस प्रकार वरिष्ठता का निर्धारण करते समय, 31 अक्टूबर, 1966 तक की अवधि को कानूनी रूप से विचार में नहीं लिया जा सकता था। पूरे मामले पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हम श्री सिब्बल के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त रूप से, उपरोक्त विवाद को उठाने से, बहस के दौरान पूरी तरह से एक अलग मामला स्थापित किया जा रहा है, जैसा कि दिनांक 11 जनवरी, 1971 के विवादित आदेश, याचिका के अनुलग्नक 'ख' में किए गए प्रवेश और पक्षकारों के अभिवचनों से स्पष्ट होगा, जिनके लिए वर्तमान में संदर्भ दिया जा रहा है। विवादित आदेश में, बी. आर. कपूर के मामले पर विचार करते समय, यह विशेष रूप से कहा गया है कि "वह केवल 29 जुलाई, 1965 से लगातार कैडर पद पर थे।" इस स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पहले देखा गया था, हमें यह सबसे अधिक अनुचित लगता है कि वैध रूप से यह तर्क दिया जा सकता है कि बी. आर. कपूर ने उस अवधि के लिए कैडर पद नहीं

संभाला था जब वे 25वीं बटालियन के कमांडेंट थे। अब संबंधित अभिवचनों का संदर्भ दिया जा सकता है। मामले के इस पहलू पर, याचिकाकर्ता (बी. आर. कपूर) के अभिकथनों को उसकी रिट याचिका के पैरा 23 और 24 में स्थान मिलता है जो निम्नानुसार हैः –

> "23. तबादले के आदेशों से यह पता चलेगा कि इस बात का कोई संकेत नहीं था कि 25वीं बटालियन के कमांडेंट का पद पी. ए. पी. का नहीं था उसके काफी समय बाद ही ऐसा हुआ था। उन्होंने उक्त पद का प्रभार सौंपा कि याचिकाकर्ता को पता चला कि 25वीं बटालियन पी. ए. पी. को मार्च, 1966 के महीने में भारत सरकार के प्रभार के तहत सीमा सुरक्षा बल (इसके बाद बी. एस. एफ. निर्दिष्ट किया जाएगा) की बटालियन में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता को कमांडेंट 25वीं बटालियन, पी. ए. पी. के पद पर स्थानांतरण के समय पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया था और इसके बाद भी कि यह एक पूर्व-कैडर पद था। जहाँ तक याचिकाकर्ता को जानकारी है, सरकार द्वारा उनके कमांडेंट, 25वीं बटालियन, पी. ए. पी. के रूप में कार्यभार संभालने से पहले या उनकी पोस्टिंग की अवधि के दौरान ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी कि इस बटालियन को केंद्र सरकार के प्रभार के तहत बी. एस. एफ. की बटालियन में परिवर्तित कर दिया गया था और/या कमांडेंट का पद विघटित कर दिया गया था या यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में था।
>
> 24. याचिकाकर्ता का कहना है कि कमांडेंट, 25वीं बटालियन, पी. ए. पी. का पद पंजाब राज्य के आई. पी. एस. कैडर पर वहन किया जाता है, जिसकी ताकत आई. पी. एस. (कैडर शक्ति का निर्धारण) विनियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, इस आशय के एक विशिष्ट संशोधन के बिना और एक वैधानिक अधिसूचना जारी किए बिना विच्छेदित नहीं किया जा सकता था। वास्तव में, राज्य सरकार ने आवधिक बयान (जिसे आमतौर पर कैडर रिटर्न के रूप में जाना जाता है) में पंजाब की कैडर संख्या और याचिकाकर्ता द्वारा 25वीं बटालियन, पी. ए. पी. के कमांडेंट रहने की अवधि के दौरान कैडर (वरिष्ठ) पद धारण करने वाले अधिकारियों के बारे में इस पद को कैडर (वरिष्ठ) पद के रूप में दिखाया था और याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित किया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सरकार यह याचिका लेने की हकदार नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कैडर में वरिष्ठ पद नहीं संभाला था, जबकि वह कमांडेंट, 25वीं बटालियन, पी. ए. पी. के पद पर थे उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को उपरोक्त आवधिक विवरण युक्त मूल अभिलेख प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए।

(26) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा राज्य की ओर से दायर लिखित बयान में, उपरोक्त कथनों का उत्तर निम्नलिखित प्रभाव से हैः - स्वीकार किया गया पंजाब सीमा पर आठ पी. ए. पी. बटालियनों में बटालियन नं. 25 जिसमें याचिकाकर्ता को तैनात किया गया था, 1 मार्च, 1966 से सीमा सुरक्षा बल में स्थानांतरित कर दिया गया था। बटालियनों के पुराने नंबर कुछ समय के लिए रखे गए थे क्योंकि बटालियनों के नए नंबर कर्मियों को जारी किए जाने थे और सीमा सुरक्षा बल द्वारा किताबों में दर्ज किए जाने थे।

(24) राज्य सरकार ने 19 अगस्त, 1966 को पंजाब सीमा पर 8 पीपी बटालियनों के 8 पुलिस अधीक्षकों (कमांडेंट) के पदों को कम करने के लिए आदेश जारी किए थे (अनुलग्नक आर-3/एफ) इस पत्र को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने I.P.S. से पुलिस अधीक्षकों के 8 पदों को कम करने के लिए एक अलग अधिसूचना जारी नहीं की है। कैडर। यह स्वीकार किया जाता है कि कमांडेंट, 25वीं बटालियन, पी. ए. पी. के पद को 31 अक्टूबर, 1966 तक आई. पी. एस. संवर्ग में दिखाया जा रहा था।

(27) इन कथनों से यह स्पष्ट है कि पंजाब राज्य ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कमांडेंट, 25वीं बटालियन, पी. ए. पी. का पद 31 अक्टूबर, 1966 तक आई. पी. एस. संवर्ग में दिखाया जा रहा था। मामला

यहीं नहीं रुका। 25वीं बटालियन के अधिग्रहण के बाद भी, पुलिस महानिरीक्षक और पंजाब के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति और स्थानांतरण के आदेश जारी किए जा रहे थे, जैसा कि रिट याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ई' और 'एस' से स्पष्ट है। इसके अलावा बी. आर. कपूर ने पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब और संयुक्त सचिव, सरकार, गृह (पुलिस) विभाग, चंडीगढ़ के डी. ओ. पत्र संख्या 26379-बी, दिनांक 18 अक्टूबर, 1966 के संदर्भ में 24 अक्टूबर, 1966 को कमांडेंट, 25वीं बटालियन के पद का कार्यभार छोड़ दिया, जैसा कि अनुलग्नक 'टी' से स्पष्ट है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों ने बी. आर. कपूर को I.P.S. में एक पद पर कब्जा करने के लिए माना। इस अवधि के दौरान पंजाब राज्य के कैडर ने 25वीं बटालियन, पी ए पी के कमांडेंट के रूप में कार्य किया इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा पंजाब राज्य के आई. पी. एस. संवर्ग से कमांडेंट, 25वीं बटालियन, पी. ए. पी. के पद को हटाने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और बहुत लंबे पत्राचार के बाद और इस मुद्दे पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार ने 11 जनवरी, 1971 को अपने पत्र में, जैसा कि पहले देखा गया था, कहा कि बी. आर. कपूर 29 जुलाई, 1965 से लगातार एक संवर्ग पद पर आसीन थे, हालांकि इस पद पर उनकी नियुक्ति 29 जुलाई, 1965 से 31 अक्टूबर, 1966 तक की अवधि के लिए अनुमोदित नहीं थी। बाद में, दिनांक 23 मार्च, 1971 के एक पत्र द्वारा, बी. आर. कपूर के 29 जुलाई, 1965 से 1 जुलाई, 1966 तक के कार्यकाल को मंजूरी दी गई, लेकिन 2 जुलाई, 1966 से 31 अक्टूबर, 1966 तक सेवा को मंजूरी नहीं दी गई, इस याचिका पर कि कमांडेंट, 25 वीं बटालियन, पी. ए. पी. का पद, जो उस अवधि के दौरान उनके पास था, पंजाब राज्य के तहत एक कैडर पद नहीं था, अन्यथा कमांडेंट, 40 वीं बटालियन और कमांडेंट, 25 वीं बटालियन के रूप में उनकी सेवा में कोई अंतर नहीं था। इन परिस्थितियों में हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान वकील का यह तर्क देना उचित नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा 25वीं बटालियन का अधिग्रहण सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए पूर्ण था और बी. आर. कपूर पंजाब राज्य के तहत एक वरिष्ठ पद पर नहीं थे।

(28) जे. एस. आनंद के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप द्वारा एक अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत किया गया था कि निजी उत्तरदाताओं को दोनों सरकारों के कृत्यों के लिए पीड़ित नहीं किया जा सकता था और केंद्र सरकार या पंजाब सरकार का प्रवेश उक्त उत्तरदाताओं पर बाध्यकारी नहीं था। विद्वान वकील के अनुसार, स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित किया जाना था कि केंद्र सरकार द्वारा 25वीं बटालियन का अधिग्रहण पूरा हो गया था या नहीं और यदि अधिग्रहण पूरा हो गया था, तो यह नहीं माना जा सकता था कि बी. आर. कपूर पंजाब राज्य के तहत एक वरिष्ठ पद पर थे, जबकि वे 25वीं बटालियन के कमांडेंट के पद पर थे। P A P हम विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं क्योंकि तथ्यों पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 25वीं बटालियन का पूर्ण अधिग्रहण किया गया था ताकि पंजाब राज्य के तहत वरिष्ठ पदों से कमांडेंट, 25वीं बटालियन का पद छीन लिया जा सके। हमारा ध्यान उस पत्राचार की ओर आकर्षित किया गया जो दर्शाता है कि 25वीं बटालियन के कर्मियों पर वित्तीय नियंत्रण केंद्र सरकार का था। ऐसा हो सकता है। लेकिन पत्राचार और ऊपर वर्णित परिस्थितियों को देखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि कमांडेंट, 25वीं बटालियन का पद पंजाब राज्य के आई. पी. एस. कैडर से लिया गया था। केंद्र सरकार ने स्वयं उस पद को कैडर पद के रूप में माना और अब अन्यथा धारण करना बी. आर. कपूर के साथ बहुत अन्याय होगा, जिन्हें हमेशा यह समझने के लिए दिया गया था कि वे पंजाब राज्य के तहत एक कैडर पद धारण कर रहे थे। इस प्रकार किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो वरिष्ठता का निर्धारण करते समय उस अवधि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसके दौरान उन्होंने 25वीं बटालियन के कमांडेंट का पद संभाला था।

(29) श्री सिब्बल ने आगे यह तर्क देने का अनुरोध किया कि इस मामले में मुख्य मुद्दा जिसके निर्धारण की आवश्यकता थी, वह यह था कि क्या राज्य सरकार केन्द्रीय आरक्षित और प्रतिनियुक्ति कोटे का अधिक उपयोग कर सकती है और इस प्रकार एक कृत्रिम रिक्ति सृजित कर सकती है और चयन सूची अधिकारियों को उन रिक्तियों के विरुद्ध कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है और इसके परिणामस्वरूप, उन्हें आई. पी. एस. अधिकारियों पर लाभ दे सकती है, लेकिन मैं इस स्तर पर मामले के इस पहलू का विज्ञापन

करने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि इसी पर हरित सिंह के खिलाफ दायर अपीलों में विस्तार से विचार किया जा रहा है।

(30) सिविल विविध अनुप्रयोग सं. 1974 के 9205 और 9208 को 1973 के एल पी ए नंबर 634 में दाखिल किया गया है। 1974 का सी. एम 9205 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन दाखिल किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि अनुलग्नक 'पी-1' और 'पी-2' की प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि 1974 का सी. एम. 9208 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 41 नियम 27 के तहत दायर किया गया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त दो दस्तावेजों की प्रतियां साक्ष्य में प्राप्त की जा सकती हैं। ये आवेदन उन आवेदनों के समान हैं जो 1973 के एल. पी. ए. 633 में दायर किए गए थे जिन्हें भारत सरकार ने हरजित सिंह के खिलाफ दायर किया था। उस अपील में उन विविध आवेदनों पर एक आदेश पारित किया गया है और उस आदेश को 1974 के सी एम 9205 और 9208 में भी पारित आदेश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

(31) इस अपील में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन, परिसीमा अवधि के विस्तार के लिए, तर्कों के समापन की दिशा में 1975 का सी. एम. 234 दाखिल किया गया था। इस आवेदन की सूचना उन उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को दी गई थी जिन्होंने इस आवेदन को चुनौती नहीं दी थी। इसके अलावा, इस आवेदन को इसी आधार पर किए गए आवेदनों पर, हरजित सिंह के मामले के फैसले में दर्ज कारणों के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार इस आवेदन की अनुमति है और एल. पी. ए. दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया जाता है।

(32) यह मुझे हरजित सिंह प्रत्यर्थियों के मामले में लाता है जिनकी सिविल रिट संख्या 1971 की अनुमति दी गई थी और किस निर्णय के खिलाफ भारत संघ, पंजाब राज्य और जे. एस. आनंद द्वारा क्रमशः 1973 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 633,671 और 694 दायर की गई हैं। उक्त मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

(33) हरजित सिंह को अप्रैल, 1951 में राज्य पुलिस सेवा में सीधी भर्ती के रूप में चुना गया था, और उनकी परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के बाद, अप्रैल, 1951 में उस पद पर उनकी पुष्टि की गई थी। उनका नाम 1960 में बी. आर. कपूर और कुछ अन्य लोगों के नामों के साथ चयन सूची में शामिल किया गया था। उन्हें दिसंबर, 1960 में एक कैडर पद पर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया था, और उन्होंने 17 दिसंबर, I960 को अपने कर्तव्यों का कार्यभार संभाला। तब से वे बी. आर. कपूर और अन्य लोगों के साथ 3 सितंबर, 1969 से प्रभावी रूप से आई. पी. एस. में नियुक्त होने तक कैडर पद पर बने रहे। हालाँकि, उन्हें 1963 को आवंटन के वर्ष के रूप में इस आधार पर सौंपा गया था कि वे हमेशा बी. आर. कपूर से जूनियर रहे थे और आवंटन के पहले के वर्ष के असाइनमेंट द्वारा उन्हें उनसे वरिष्ठ नहीं बनाया जा सकता था। नतीजतन, 1 नवंबर, 1966 से पहले कैडर पद पर उनकी सेवा को 11 जनवरी, 1971 के पत्र द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, ताकि उन्हें बी. आर. कपूर से अधिक वरिष्ठता न मिले। यह भारत सरकार का 11 जनवरी, 1971 का वह निर्णय है, जिसे हरजित सिंह ने 1971 की सिविल रिट संख्या 1959 दाखिल करके चुनौती दी थी। जैसा कि पहले कहा गया था, उक्त रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी और एक निर्देश जारी किया गया था कि भारत संघ और पंजाब सरकार 17 दिसंबर, 1960 को हरजित सिंह के आवंटन के वर्ष का निर्धारण करेगी, जिस तारीख से एक वरिष्ठ पद पर उनका निरंतर कार्यकाल शुरू हुआ था और जब तक वह सेवा में पर्याप्त रूप से नियुक्त नहीं हुए थे, तब तक वह उस पद पर रहे और इस प्रकार निर्धारित आवंटन के वर्ष के अनुसार, उन्हें वरिष्ठता नियमों के नियम 4 के तहत उचित वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

(34) विवाद के गुणागुण पर विचार करने से पहले, सिविल विविध संख्या 1973 के एल पी ए 633 में

1975 की सिविल विविध संख्या 183 और 1973 के एल पी ए 671 में 1975 की सिविल विविध संख्या 184, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 और सिविल विविध सं. भारत संघ की ओर से दायर 1974 के 9204 और 9203 (1973 के एल पी ए 633 में) का निपटारा किया जा सकता है। पहले दो विविध आवेदन हरजित सिंह द्वारा तब दायर किए गए थे जब गुण-दोष पर दलीलें इस आधार पर समाप्त होने वाली थीं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील कानून के अनुसार दायर नहीं की गई थी और यह अक्षम होने के कारण इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सीमा द्वारा वर्जित है। विद्वान वकील की यह आपत्ति इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर आधारित थी, जो इस न्यायालय के अध्यक्ष, महांत बिक्रम दास बनाम वित्तीय आयुक्त, वगैरह के फैसले पर आधारित थी। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री गुप्ता द्वारा जो तर्क दिया जाना चाहा गया था, वह यह था कि लेटर्स पेटेंट अपील उस दिन दायर की गई मानी जाएगी जब नियम 2, अध्याय 2-सी, उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड 5 द्वारा आवश्यक तीन पूर्ण पेपर बुक दायर किए गए थे। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ दस्तावेज जो रिट याचिका का हिस्सा थे, उन्हें अपील का हिस्सा नहीं बनाया गया था और इस तथ्य ने भी अपीलों को अक्षम बना दिया था। दोनों आवेदनों की सूचना भारत संघ के विद्वत वकील को दी गई थी, जिन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन सिविल विविध संख्या 207,1975 के रूप में उत्तर दायर किया था, जिसमें लेटर्स पेटेंट अपील दाखिल करने में विलम्ब की क्षमा के लिए, जिसमें आवेदनों में की गई याचिकाओं के विरुद्ध विस्तृत तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

(35) पक्षकारों के विद्वत वकील को बहुत विस्तार से सुनने के बाद, हमारा विचार है कि, परिस्थितियों में और मामले के तथ्यों पर, देरी की माफी के लिए पर्याप्त आधार बनाया गया है। अमर नाथ और अन्य बनाम मुई राज और अन्य के मामले में, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पिछले कई वर्षों से इस न्यायालय की प्रथा पत्र-पुस्तिकाओं के पूर्ण सेटों के बिना पत्र-पेटेंट अपीलों पर विचार करने की रही है और यह कि उच्च न्यायालय के नियम और आदेश खंड 5 के अध्याय 2-सी के नियम 2 के उल्लंघन में महांत बिक्रम दास के मामले में पूर्व पूर्ण पीठ के निर्णय के प्रकाशन से पहले दायर किसी भी अपील के संबंध में, उक्त पूर्व अभ्यास अपने आप में सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद पत्र-पेटेंट अपील को कागजी पुस्तकों के पूर्ण सेटों के साथ फिर से दायर करने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त आधार होगा। पूर्ण पीठ के उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपीलों को खारिज करने के लिए हमले का मुख्य आधार सीमा द्वारा वर्जित के रूप में आता है।

(36) इस स्थिति का सामना करते हुए माउंट द्वारा तर्क देने की मांग की गई थी। गुप्ता ने कहा कि पंजाब राज्य द्वारा 1973 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 671 में दायर पेपर-बुक अभी भी अधूरी है क्योंकि कुछ दस्तावेज, जिनका विवरण 1975 की सिविल विविध संख्या 184 के पैरा 3 में दिया गया है, को पेपर-बुक का हिस्सा नहीं बनाया गया है, हालांकि यह रिट याचिका की पेपर-बुक का हिस्सा है। पुनः, मामले की परिस्थितियों में, हम विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। सभी अपीलों में मुद्दा समान है और हम पंजाब राज्य की अपील को केवल इस आधार पर खारिज करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि कुछ विविध आवेदनों को पेपर-बुक का हिस्सा नहीं बनाया गया था। यह देखा जा सकता है कि इस आपत्ति पर इस आधार पर आसान विजय प्राप्त करने के लिए जोर दिया जा रहा था कि यदि पंजाब राज्य द्वारा दायर अपील अक्षम होने के कारण खारिज कर दी जाती है, तो विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय अंतिम हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप उस निर्णय के खिलाफ अन्य सभी अपीलों को भी खारिज करने की आवश्यकता हो सकती है। इस विवाद के लिए शिवदान सिंह बनाम दुर्योधन कंवर में उच्चतम न्यायालय के उनके न्यायाधीश के निर्णय का लाभ लेने की मांग की गई थी। हमारा विचार है कि निर्णय मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। इसके अलावा, हमने पंजाब राज्य के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, विविध आवेदनों की प्रतियों को दाखिल न करने के परिणामस्वरूप अपील अधूरी नहीं रह गई है। इस मामले को ध्यान में रखते

हुए, हरजित सिंह प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है, जबकि अपीलार्थियों द्वारा देरी को माफ करने के लिए दायर आवेदनों की अनुमति दी जाती है।

(37) इससे पहले कि मैं पक्षकारों के विद्वत वकील द्वारा बार में हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों के आधार पर विवाद के गुणागुण पर विचार करूं, मैं विद्वत एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझता हूं, जो निम्नानुसार हैः —

(i) भारत सरकार इस गलत धारणा में है कि किसी संवर्ग पद पर चयन सूची से किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए छह महीने से अधिक की अवधि के लिए भारत सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है;

(ii) भारत सरकार और संघ लोक सेवा आयोग ने पंजाब सरकार को यह नहीं बताया कि यह उसके विचार में सही नहीं था कि चार वर्ष से कम की सेवा वाला एक आई. पी. एस. अधिकारी उन संवर्ग पदों को धारण करने के लिए उपयुक्त अधिकारी नहीं था जो चयन सूची से 17 अधिकारियों द्वारा धारण किए जा रहे थे;

(iii) भारत सरकार ने जो कुछ भी कहा वह "उपयुक्त संवर्ग अधिकारी उपलब्ध होने तक" था, जिसके कारण पंजाब सरकार को यह विश्वास हो गया होगा कि उपयुक्त संवर्ग अधिकारी का अर्थ है चार वर्ष से अधिक की स्थिति के प्रत्यक्ष भर्ती (आई. पी. एस. अधिकारी)।

(iv) पत्रों की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट था कि भारत सरकार ने हमेशा यह निर्णय पंजाब सरकार पर छोड़ दिया था कि क्या एक उपयुक्त कैडर अधिकारी उपलब्ध हो गया था, जिस पद पर एक चयन सूची अधिकारी कार्य कर रहा था और यह कभी नहीं बताया गया था कि चार साल से कम की सीधी भर्ती को भी उन पदों पर काम करने के लिए उपयुक्त अधिकारी माना जा सकता है।

(v) (v) भारत सरकार ने सर्वश्री बी. आर. कपूर, हरजित सिंह और सुखपाल सिंह को कैडर पदों पर लगातार नियुक्त करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, बिना इस सवाल के कि चार साल से कम की स्थिति का एक कैडर अधिकारी उपलब्ध था और नियुक्त नहीं किया जा रहा था;

(vi) (vi) नियमों की व्याख्या पर, जैसा कि वे 3 सितंबर, 1969 को मौजूद थे, श्री हरजित सिंह को वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (बी) के लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके वरिष्ठ श्री बी. आर. कपूर ने एक कैडर पद पर उनके बाद से लगातार कार्य करना शुरू किया था, हालांकि पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन एक अन्य गैर-कैडर पद लेने के लिए इसे छोड़ दिया था।

(vii) (vii) कि यह एक पूर्ण नियम नहीं था कि बाद में किसी सेवा में नियुक्त होने वाले लोगों को पहले नियुक्त किए गए लोगों से नीचे का पद होना चाहिए;

(viii) कि चयन सूची के अधिकारियों के मामले में, वरिष्ठता, वास्तव में, उस तारीख से गिना जाएगा जब तक कि ऐसे अधिकारी ने बिना किसी विराम या प्रत्यावर्तन के कैडर पद पर निरंतर कार्य करना शुरू किया था, जब तक कि उन्हें सेवा में नियुक्त नहीं किया गया था; और ऐसी तारीख अलग-अलग अधिकारियों के मामलों में अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नियम 3 (3) (बी) को सीधे तौर पर इसके दायरे में आने वाले मामले पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने चयन सूची में अपने जूनियर की तुलना में बाद में कैडर पद पर

निरंतर कार्य करना शुरू कर दिया था;

(ix) कि आई. पी. एस. में पर्याप्त रूप से नियुक्त होने से पहले कैडर पद पर हरजित सिंह का निरंतर कार्यकाल लगभग नौ साल तक चला और उनके मामले में यह नहीं कहा जा सकता था कि सेवा की वह सारी अवधि अस्थायी थी या स्थानीय व्यवस्था के माध्यम से थी;

(x) लगभग नौ वर्षों की अवधि के दौरान एक कैडर पद पर लगातार कार्य करने पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी और उस पद पर उनकी निरंतर नियुक्ति पर समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी;

(xi) कि इस आधार पर कि पंजाब सरकार ने प्रतिनियुक्ति और केंद्रीय आरक्षित कोटा का अधिक उपयोग किया था, हरजित सिंह को आवंटन के उचित वर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता था;

(xii) कि हरजित सिंह के मामले में, वरिष्ठता नियमों के नियम 2 (छ) में परिभाषित वरिष्ठ पद में निरंतर कार्यारंभ की तारीख को 17 दिसम्बर, 1960 के रूप में लिया जाना है, न कि 1 नवम्बर, 1966 के रूप में, और इसलिए, वह वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (ख) के तहत उस तारीख के अनुसार आवंटन का वर्ष निर्धारित करने का हकदार है और उसके बाद उसकी वरिष्ठता श्री बी. आर. कपूर को आवंटित आवंटन के वर्ष की परवाह किए बिना वरिष्ठता नियमों के नियम 4 के तहत निर्धारित की जानी है;

(xiii) कि उन्हें इस आधार पर आवंटन के उचित वर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पंजाब सरकार ने प्रतिनियुक्ति और केंद्रीय आरक्षित कोटा का अत्यधिक उपयोग किया था और राज्य पुलिस सेवा के कुछ सदस्यों का पक्ष लिया था।

(xiv) विद्वान एकल न्यायाधीश, के उपरोक्त निष्कर्षों की शुद्धता को चुनौती देते हुए श्री एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी दलीलों को श्री आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री एम. एस. सेठी, पंजाब राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने स्वीकार किया था, ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में मुख्य मुद्दा जिसके निर्धारण की आवश्यकता थी वह यह था कि क्या राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति और केंद्रीय आरक्षित कोटा का अधिक उपयोग कर सकती है और इस तरह एक कृत्रिम रिक्ति पैदा कर सकती है और उन रिक्तियों के खिलाफ कार्य करने के लिए चयनित सूची अधिकारियों को बना सकती है और इसके परिणामस्वरूप, उन्हें आई. पी. एस. अधिकारियों पर लाभ दे सकती है। श्री सिब्बल ने जो तर्क दिया कि संवर्ग शक्ति विनियमों के अधीन संवर्ग की संख्या निर्धारित की गई थी, कि संवर्ग नियम के नियम 4 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही संवर्ग की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, कि केंद्र सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों और प्रतिनियुक्ति आरक्षित के पदों का संचालन केवल आई. पी. एस. अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, कि इन दो श्रेणियों के लिए संवर्ग की संख्या क्रमशः 14 और 7 थी, कि केवल 14 और 7 अधिकारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त किया जा सकता था, कि संवर्ग की संख्या का पालन करने के बजाय राज्य सरकार ने उसी का अधिक उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के उपयुक्त आई. पी. एस. अधिकारी उपलब्ध नहीं थे और इसलिए, चयनित सूची के अधिकारियों को संवर्ग पदों के विरुद्ध तैनात किया गया था और उन्हें कार्य करने की अनुमति दी गई थी, इस तरह से एक कृत्रिम रिक्ति सृजित की गई थी, जो केंद्रीय अधिकारियों की सूची से अधिक थी। श्री सिब्बल ने आगे तर्क दिया कि यह शिकायत नहीं थी कि चयनित सूची के अधिकारियों को संवर्ग के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था क्योंकि चार वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले आई. पी. एस. अधिकारी उपलब्ध नहीं थे। विद्वान वकील ने माना कि प्रशासन को चलाने के लिए

इस संबंध में लिया गया कार्यकारी निर्णय, कि चार साल से कम की स्थिति वाले आई. पी. एस. अधिकारियों को संवर्ग पदों पर काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उचित था, लेकिन उस कार्रवाई ने किसी भी तरह से वास्तविक मुद्दे को प्रभावित नहीं किया क्योंकि आई. पी. एस. अधिकारी केवल तभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए जब राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति और केंद्रीय आरक्षित कोटा का अत्यधिक उपयोग किया। श्री सिब्बल के अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस विशेष मुद्दे को एक ऐसे दृष्टिकोण से तय किया जिसकी इस मुद्दे पर कोई प्रासंगिकता या संबंध नहीं था और अति उपयोग के वास्तविक प्रश्न पर, मामले को पूरी तरह से नहीं देखा गया था और यह टिप्पणी करके इसे अनिश्चित छोड़ दिया गया था, "ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इस कारण से श्री हरजित सिंह याचिकाकर्ता को पीड़ित नहीं किया जा सकता है। लगभग 9 वर्षों की अवधि के दौरान एक संवर्ग में उनकी निरंतर नियुक्ति और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर उस पद पर उनकी निरंतर नियुक्ति पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई गई। उन्हें इस आधार पर आवंटन के उचित वर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता है। श्री सिब्बल ने तर्कों के दौरान इस हद तक भी कहा कि यदि अति उपयोग होता है तो कार्यपालन की अवधि उचित नहीं मानी जाएगी और अधिकारी कानूनी रूप से अपने आवंटन के वर्ष को निर्धारित करने के उद्देश्य से उस अवधि के लाभ का हकदार नहीं होगा। संक्षेप में श्री सिब्बल का तर्क था कि किसी भी मामले में पहले कानून के अनुसार संवर्ग की संख्या में संशोधन किए बिना अति-उपयोग नहीं किया जा सकता है और जब भी संवर्ग की संख्या में पहले संशोधन किए बिना अति-उपयोग होता है, तो चयन सूची के अधिकारी अपने आवंटन के वर्ष को निर्धारित करने के लिए कार्यावधि के लाभ के हकदार नहीं होते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि ऊपर उल्लिखित सभी नियमों और विनियमों के प्रावधानों को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि सामंजस्यपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकें और एक-दूसरे से स्वतंत्र न हों, जिसके परिणामस्वरूप विसंगति पैदा हो सकती है और इस तरह नियम और विनियमों के निर्माताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को विफल कर सकता है।

(xv) श्री कुलदीप सिंह ने एक अन्य दृष्टिकोण से भी इस मामले को उठाया था। उनके द्वारा जो तर्क दिया जाना चाहा गया था वह यह था कि भर्ती नियमों के नियम 9 के तहत, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर और आयोग के परामर्श से, ऐसे विनियमों के अनुसार राज्य पुलिस सेवा के (मूल) सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा सेवा व्यक्तियों की भर्ती कर सकती है जो केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकार और आयोग के परामर्श के बाद कर सकती है। पदोन्नति विनियमों के विनियम 8 और 9 के तहत, चयन सूची से कैडर पदों और चयन सूची से सेवा में नियुक्तियां करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इन दो नियमों के अनुसार चयन सूची में वरिष्ठता का पालन किया जाना था। श्री कुलदीप सिंह के अनुसार, नियमों की व्याख्या सामंजस्यपूर्ण तरीके से की जानी थी, चयन सूची में वरिष्ठता को सभी चरणों में प्रतिबिंबित किया जाना था, यानी आवंटन के वर्ष का निर्धारण करते समय भी और यदि इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाए तो चयन सूची में बी. आर. कपूर से जूनियर रहे हरजित सिंह को आवंटन का पिछला वर्ष नहीं मिल सका क्योंकि उन्होंने बी. आर. कपूर की तुलना में लंबी अवधि के लिए कैडर पदों पर कार्य किया था।

(xvi) दूसरी ओर, श्री गुप्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (बी) को कैडर नियमों या पदोन्नति विनियमों से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, कि वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (बी) के आयात की व्याख्या करने के लिए कैडर नियमों या पदोन्नति विनियमों का विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी और क्या यह उस क्रम के अनुसार बनाया गया था जिसमें नाम चयन सूची में दिखाई दिए थे, कि जब ये दो शर्तें पूरी हो गईं, तो आवंटन के वर्ष को निर्धारित करने के लिए नियम 3 (3) (बी) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना था, कि इस प्रस्ताव के लिए कोई वारंट नहीं था कि वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (बी) को इस शर्त से सीमित किया गया था कि वह व्यक्ति जो चयन सूची में वरिष्ठ था और सेवा में नियुक्त किया गया था, उन

व्यक्तियों को भी हमेशा आवंटन का एक वर्ष पहले मिलना चाहिए जो चयन सूची में उनसे जूनियर थे और जो उनके बाद सेवा में आए थे, कि नियमों या विनियमों के निर्माताओं ने आवंटन के वर्ष का निर्धारण करते समय कैडर नियमों या पदोन्नति विनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखने का कभी इरादा नहीं किया था, यह कि सभी नियमों और विनियमों को स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना था और एक-दूसरे के सामंजस्य का प्रश्न ही नहीं उठता था यदि ऐसा निर्माताओं का इरादा नहीं था और आवंटन के वर्ष को निर्धारित करने के उद्देश्य से अति उपयोग के प्रश्न की कोई प्रासंगिकता नहीं थी और यही कारण है कि हरजीत सिंह और सुखपाल सिंह के आवंटन के वर्ष का निर्धारण करते समय एकमात्र कारण जो भारत सरकार के साथ तौला गया था। चयन सूची में बी. आर. कपूर से जूनियर होने के कारण उन्हें बी आर कपूर को एक साल पहले आवंटन का एक साल नहीं दिया जा सकता था। विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि भले ही श्री सिब्बल के तर्क को अमूर्त रूप में सही माना गया हो, फिर भी वर्तमान फाइल पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि किस समय हरजित सिंह और अन्य ने अति उपयोग के परिणामस्वरूप वरिष्ठ पदों पर कब्जा किया था। श्री जे. एल. गुप्ता द्वारा यह तर्क देने का भी अनुरोध किया गया कि प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को भेजने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय में केंद्र सरकार एक पक्ष थी, कि चयन सूची अधिकारियों के कार्यपालन को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और ऐसी स्थिति में, केंद्र सरकार को आंदोलन करने से रोक दिया गया था कि राज्य सरकार के पास प्रतिनियुक्ति और केंद्रीय आरक्षित कोटा का अधिक उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था।

(xvii) पक्षकारों के विद्वान वकील की संबंधित दलीलों पर, पहला प्रश्न जिसके निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या राज्य सरकार के पास संवर्ग नियमों के नियम 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संवर्ग संख्या में परिवर्तन किए बिना प्रतिनियुक्ति और केंद्रीय आरक्षित कोटा का अधिक उपयोग करने की शक्ति है। यह प्रश्न इसलिए उठाया गया है ताकि सैद्धांतिक रूप से यह तय किया जा सके कि राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या है कि कैडर अधिकारियों को कोटा के ऊपर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए और इस तरह चयन सूची अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का सृजन किया जाए।

(xviii) एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ क्षेत्रों को स्पष्ट करना आवश्यक है और उस उद्देश्य के लिए उन नियमों और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ देना आवश्यक होगा, जिन पर तर्क के दौरान हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 की संख्या 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954(इसके बाद संवर्ग नियम के रूप में संदर्भित) बनाए। नियम 2 में, जो परिभाषा देता है, 'संवर्ग अधिकारी' को भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है और 'संवर्ग पद' का अर्थ भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग शक्ति का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में प्रत्येक संवर्ग के मद । के तहत निर्दिष्ट किसी भी पद से है। नियम 4 कैडरों की ताकत प्रदान करता है और निम्नलिखित शब्दों में हैः –

(1) नियम 3 के अधीन गठित प्रत्येक संवर्ग की संख्या और संरचना इस निमित्त राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी और जब तक ऐसे विनियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले लागू रहेंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक तीन वर्षों के अंतराल पर, राज्य सरकार या संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसे प्रत्येक संवर्ग की ताकत और संरचना की पुनः जांच करेगी और उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकती है जो वह उचित समझेः

"बशर्ते कि इस उपनियम की कोई बात किसी अन्य समय में किसी संवर्ग की संख्या और संरचना में परिवर्तन करने की केन्द्र सरकार की शक्ति को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी; बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए और केन्द्र सरकार के अनुमोदन से दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संवर्ग पदों के लिए समान प्रकृति के कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों को वहन करने वाले एक या अधिक पदों को किसी राज्य या संयुक्त संवर्ग में जोड़ सकती है।

नियम 8 में प्रावधान है कि इन नियमों में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक संवर्ग पद एक संवर्ग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। नियम 9 कैडर पदों पर गैर-कैडर अधिकारियों की अस्थायी नियुक्ति की बात करता है और इसका प्रभाव निम्नलिखित हैः —

(3) किसी राज्य में कैडर पद एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है जो कैडर अधिकारी नहीं है यदि राज्य सरकार संतुष्ट है-(क) रिक्ति के तीन महीने से अधिक समय तक चलने की संभावना नहीं है; या (ख) रिक्ति को भरने के लिए कोई उपयुक्त कैडर अधिकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) जहां किसी राज्य में, कैडर अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए कैडर पद पर नियुक्त किया जाता है, वहां राज्य सरकार नियुक्ति करने के कारणों के साथ इस तथ्य को तुरंत केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन या अन्यथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकती है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त कर देगी और उसे एक संवर्ग अधिकारी नियुक्त करेगी और जहां कोई निर्देश इस प्रकार जारी किया जाता है, वहां राज्य सरकार तदनुसार उसे प्रभावी बनाएगी।

(4) जहां किसी संवर्ग पद को ऐसे व्यक्ति द्वारा भरे जाने की संभावना है जो संवर्ग अधिकारी नहीं है, छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, केंद्रीय सरकार संघ लोक सेवा आयोग को इस धारणा के कारणों के साथ पूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट करेगी कि कोई उपयुक्त अधिकारी पद भरने के लिए उपलब्ध नहीं है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सलाह के आलोक में संबंधित राज्य सरकार को उपयुक्त निर्देश दे सकती है।

(43) संवर्ग नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों की सरकारों के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग शक्ति का निर्धारण) विनियम, 1955(इसके बाद संवर्ग शक्ति विनियम कहा जाता है) बनाया. इन संवर्ग शक्ति विनियमों ने विभिन्न राज्यों की भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग के पदों और क्षमता और संरचना को प्रदान किया है और इन विनियमों के साथ एक अनुसूची संलग्न की गई है जिसमें प्रत्येक राज्य के संवर्ग के पदों और क्षमता और संरचना को दर्शाया गया है। पंजाब राज्य के लिए अनुसूची, मद संख्या 1 के तहत, राज्य सरकार के तहत वरिष्ठ पदों की संख्या 34, मद संख्या 2 पर केंद्र सरकार के तहत वरिष्ठ पदों की संख्या 14 और मद संख्या 5 पर प्रतिनियुक्ति आरक्षित उपरोक्त 34 में से 20 प्रतिशत 7 के रूप में दर्शाती है। (आइटम संख्या 1,2 और 5 का संदर्भ दिया गया है क्योंकि हमारे उद्देश्यों के लिए केवल वही प्रासंगिक आइटम हैं)

(44) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्यों की सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 बनाए, जिसे इसके पश्चात् भर्ती नियम कहा जाता है।

नियम 2 में, जो परिभाषा देता है, 'प्रत्यक्ष भर्ती' को नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ए) के तहत भर्ती के बाद सेवा में नियुक्त व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और 'सेवा' को भारतीय पुलिस सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। नियम 4 सेवा में भर्ती की विधि निर्धारित करता है। नियम 9 पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित करता है और इस नियम का उप-नियम (1), जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः-"केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर और आयोग के परामर्श से, ऐसे विनियमों के अनुसार राज्य पुलिस सेवा के मूल सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा सेवा व्यक्तियों की भर्ती कर सकती है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आयोग के परामर्श के बाद, समय-समय पर कर सकती है।

(4) भर्ती नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 बनाया, जिसे इसके बाद पदोन्नति विनियम के रूप में संदर्भित किया गया है। विनियम 2 परिभाषा देता है और 'संवर्ग अधिकारी' को सेवा के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि 'संवर्ग पद' को संवर्ग नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट किसी भी पद के रूप में परिभाषित किया गया है। 'संवर्ग नियम' से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 अभिप्रेत है। विनियम 5 प्रक्रिया के बारे में बताता है कि उपयुक्त अधिकारियों की सूची कैसे तैयार की जानी है। उप-विनियम (3) और इस उप-विनियम का परंतुक निम्नानुसार हैः-"सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम राज्य पुलिस सेवा में वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगेः बशर्ते कि कोई कनिष्ठ अधिकारी, जो समिति की राय में असाधारण योग्यता और उपयुक्तता का है, उसे सूची में उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में अधिक स्थान सौंपा जा सकता है।

विनियम 8 में चयन सूची से संवर्ग पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और यह निम्नलिखित शर्तों में हैः-"राज्य संवर्ग या राज्यों के समूह के संयुक्त संवर्ग के पदों पर चयन सूची से राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, जैसा भी मामला हो, संवर्ग नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। ऐसी नियुक्तियाँ करने में, राज्य सरकार उस क्रम का पालन करेगी जिसमें ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में दिखाई देते हैंः

बशर्ते कि जहां प्रशासनिक अनिवार्यताओं की आवश्यकता होती है, राज्य पुलिस सेवा का कोई सदस्य जिसका नाम चयन सूची में नहीं है या जो उस चयन सूची में अगले क्रम में नहीं है, कैडर नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के अधीन रहते हुए कैडर पद पर नियुक्त किया जा सकता है यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो-

(i) रिक्ति के तीन महीने से अधिक समय तक रहने की संभावना नहीं है; या

(ii) रिक्ति को भरने के लिए कोई उपयुक्त कैडर अधिकारी उपलब्ध नहीं है।

(46) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। (1951 का 61) केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1954 बनाए हैं, जिसे इसके पश्चात् वरिष्ठता नियम कहा गया है और 'वरिष्ठ पद' को नियम 2 (छ) में परिभाषित किया गया है और इसकी परिभाषा बी. आर. कपूर के मामले से संबंधित निर्णय के पूर्व भाग में पुनः प्रस्तुत की गई है।

(47) आबंटन का एक वर्ष नियत करने की प्रक्रिया नियम 3 में उपबंधित की गई है और उसी का सुसंगत भाग जिसके साथ हम संबंधित हैं, निर्णय के पूर्व भाग में पहले ही पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है।

(48) नियम 4 अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है।

(49) इन विस्तृत नियमों और विनियमों के अवलोकन से यह बहुत स्पष्ट है कि इन्हें एक कुशल और मजबूत पुलिस सेवा संवर्ग का गठन करने के लिए तैयार किया गया था और इन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए न कि एक दूसरे से स्वतंत्र। यह ध्यान में रखना होगा कि भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य प्रशासन का इस्पात ढांचा हैं। देश का सुचारू और सुदृढ़ प्रशासन अधिकारियों की सुरक्षा और स्थिरता की भावना पर निर्भर करता है। उनकी सेवा अधिकारियों के किसी भी मनमाने कार्य के डर या खतरे से पूरी तरह से मुक्त होनी चाहिए। इन नियमों और विनियमों का उद्देश्य कुशल सेवा को सुरक्षित करना और भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा प्रदान करना दोनों है और इस तरह से तैयार किए गए हैं कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए और समग्र रूप से कार्य किया जाना चाहिए।

(50) विभिन्न सुसंगत उपबंधों का सार और वास्तविक विवाद के निर्णय पर उनके परिणामी प्रभाव को संक्षेप में देने के लिए यह दोहराया जाएगा। संवर्ग नियमों के नियम 4 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य या राज्यों के समूह के लिए एक स्वतंत्र भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का गठन किया जाएगा। नियम 4 के तहत, जैसा कि इसके खाली पढ़ने से स्पष्ट होगा, यह प्रावधान किया गया है कि नियम 3 के तहत गठित प्रत्येक कैडर की ताकत और संरचना इस संबंध में राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी और जब तक ऐसे विनियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक कैडर नियमों के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू होंगे। केंद्र सरकार ने संवर्ग शक्ति विनियम बनाए हैं और इससे जुड़ी अनुसूची में संवर्ग की संख्या और संरचना निर्दिष्ट की गई है। प्रत्येक राज्य संवर्ग की अनुसूची में अधिसूचित वरिष्ठ पदों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है (ए) राज्य सरकार के तहत वरिष्ठ पद; (बी) केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा और (सी) प्रतिनियुक्ति आरक्षित। हर तीन साल के अंतराल पर नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत संवर्ग की संरचना और ताकत की फिर से जांच की जानी चाहिए। हालांकि, पहले परंतुक के तहत, केंद्र सरकार को किसी अन्य समय में किसी भी संवर्ग की ताकत और संरचना को बदलने की शक्तियां दी जाती हैं, जबकि दूसरे परंतुक के तहत राज्य सरकार किसी राज्य या संयुक्त संवर्ग में संवर्ग पदों के लिए समान प्रकृति के कर्तव्यों या जिम्मेदारियों वाले एक या अधिक पदों को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए (और केंद्र सरकार के अनुमोदन से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए) जोड़ सकती है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से यह संवर्ग नियम और संवर्ग शक्ति विनियमों के तहत है कि संवर्ग की ताकत और संरचना का अपना मूल है और यह विवादित नहीं है कि यदि संवर्ग अधिकारी उपलब्ध हैं तो एक चयन सूची अधिकारी को संवर्ग पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है और एक चयन सूची अधिकारी को संवर्ग पद पर नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं है। इस स्थिति में, राज्य सरकार के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि वह आई. पी. एस. अधिकारियों को केन्द्रीय या प्रतिनियुक्ति आरक्षित कोटा में उपलब्ध पदों पर राज्यों के लिए निर्धारित कोटा से ऊपर और ऊपर भेज सके और इस प्रकार अपने अधीन वरिष्ठ पदों में रिक्तियां पैदा कर सके और उन रिक्तियों को चयनित सूची के अधिकारियों में से भर सके। प्रतिनियुक्ति आरक्षित का उद्देश्य राज्य सरकार को ऐसे संवर्ग पदों को संभालने के लिए संवर्ग अधिकारियों की अस्थायी और अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए एक कुशन प्रदान करना है, जो अल्पावधि के लिए अस्थायी रूप से आवश्यक हैं। संवर्ग की ताकत संवर्ग शक्ति विनियमों के तहत तय की गई है और मेरी राय में, यह एक बेकार औपचारिकता नहीं है जिसे राज्य सरकार की प्यारी इच्छा पर मंजूरी दी जा सकती है। राज्य सरकार मद संख्या के विरुद्ध पदों की संख्या बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। नियम 4 (2) या उसके परंतुक के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संवर्ग अनुसूची के 2 और 5। यदि ऐसी शक्ति मौजूद मानी जाती है, तो संवर्ग नियमों और संवर्ग शक्ति विनियमों का उद्देश्य विफल हो जाएगा। सेवा के उचित संचालन के लिए और प्रत्यक्ष भर्तियों और चयन सूची अधिकारियों के बीच किसी भी तनावपूर्ण संबंध से बचने के लिए, राज्य सरकार को केंद्रीय और प्रतिनियुक्ति आरक्षित कोटा का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, जब तक कि पहले कानून के अनुसार संवर्ग की संख्या और संरचना को बढ़ाया न जाए।

(51) श्री गुप्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि जब अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा के पद पर नियुक्त करने के लिए भेजा गया था, तो केंद्र सरकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी और न ही राज्य सरकार को बताया गया था कि वह निर्धारित संख्या से अधिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेज सकती है। वास्तव में विद्वान वकील का यह तर्क सही नहीं लगता है। हालांकि, हमारे विचार में नियमों और विनियमों के अनिवार्य प्रावधानों के संचालन और प्रभाव के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। यदि कोई विशेष कार्य कानून के प्रावधानों के खिलाफ किया जाता है, तो वह उन अधिकारियों को कोई लाभ प्रदान नहीं करेगा जो अन्यथा उस लाभ के हकदार नहीं होते।

(52) श्री गुप्ता ने आगे तर्क दिया कि आवंटन के वर्ष का निर्धारण करते समय, केंद्र सरकार को केवल वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (बी) पर ध्यान देना था और यदि उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाता है तो कोई अन्य कारक ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। हम डरते हैं, हम खुद को श्री गुप्ता की प्रस्तुति से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। 'वरिष्ठ पद' में निरंतर कार्यपालन के लाभ का दावा किया जा सकता है यदि कार्यपालन कानून के अनुसार उचित और कानूनी है। एक अधिकारी अपने आबंटन वर्ष के निर्धारण के लिए कार्यपालन के लाभ का दावा कैसे कर सकता है यदि कानून के तहत उसे कार्यपालन करने के लिए नहीं बल्कि राज्य सरकार के अनुचित कार्य के लिए किया जा सकता है जो संवर्ग नियमों और संवर्ग शक्ति विनियमों के खिलाफ था? इस प्रस्ताव के लिए कि आवंटन रिसॉर्ट के वर्ष को निर्धारित करने के लिए केवल वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (बी) को ध्यान में रखा जा सकता है, श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठता नियमों का नियम 3 (1), इन शब्दों के साथ खुलता है कि "प्रत्येक अधिकारी को इस नियम में इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार आवंटन का वर्ष सौंपा जाएगा", कि यदि आवंटन के वर्ष का निर्धारण करते समय कोई अन्य विचार किया जाना था, तो जो परिणाम सामने आएगा, वह नियम 3 में कुछ और पढ़ना होगा, जिसका उसमें इस तरह उल्लेख नहीं किया गया है, कि यदि विधानमंडल ने आवंटन के वर्ष का निर्धारण करते समय पदोन्नति विनियमों या संवर्ग नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखने का इरादा किया था, तो नियम 3 (1) में उपयोग की गई भाषा उस शब्दांकन में नहीं होती जिसमें इसे जोड़ा गया है, कि इसके बाद इस नियम में निहित शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करता है कि एस. आर. (1) द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आवंटन वर्ष को नियंत्रित करने के उद्देश्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(53) जहां तक डी. आर. निम के मामले (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपति द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रस्ताव का संबंध है, कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह स्वयं उत्तरदाताओं की सहायता नहीं करता है। जैसा कि पहले देखा गया था, केंद्र सरकार को एक वरिष्ठ पद में निरंतर कार्यपालन देखना होता है और यदि कानूनी रूप से एक वरिष्ठ पद में निरंतर कार्यपालन नहीं हो सकता है, लेकिन अति उपयोग के कार्य के लिए, जो अन्यायपूर्ण था, तो निश्चित रूप से यह सुझाव देना व्यर्थ होगा कि आवंटन के वर्ष का निर्धारण करते समय इस तरह के कार्यपालन को ध्यान में रखा जा सकता है।

(54) हम निश्चित रूप से उस बुरी स्थिति से अनजान नहीं हैं जिसमें उत्तरदाताओं या चयन सूची अधिकारियों को उनकी गलती के बिना रखे जाने की संभावना है, लेकिन नियमों और विनियमों की सही और सही व्याख्या पर, हम उस निष्कर्ष से कोई बचाव नहीं पाते हैं जिस पर हम पहुंचे हैं।

(55) भारत सरकार ने ए. यू. इंडिया सेवा संवर्ग के प्रबंधन के संबंध में कुछ बुनियादी बातों को स्पष्ट किया है और इस स्तर पर मैं कुछ निर्देशों को पुनः प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो उस ओर से सरकार द्वारा जारी किए गए थे। उक्त निर्देश भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय सेवा नियमावली (दूसरा संस्करण) के पृष्ठ 744 पर दिखाई देते हैं और निम्नानुसार पढ़े जाते हैंः -

> 1.3 प्रत्येक राज्य संवर्ग की अनुसूची में अधिसूचित वरिष्ठ पदों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात्ः
>
> (क) राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पदः

(ख) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा;

(ग) प्रतिनियुक्ति आरक्षित।

अन्य श्रेणियां और आरक्षित, जैसे छुट्टी और प्रशिक्षण आरक्षित और कनिष्ठ पद ऊपर वर्णित तीन मुख्य श्रेणियों के सहायक हैं।

1.4 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा केंद्र की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए राज्य संवर्ग से भारत सरकार का हिस्सा तय करता है। मोटे तौर पर इस कोटा को भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति की सीमा माना जा सकता है।

1.5 प्रतिनियुक्ति रिजर्व का उद्देश्य राज्य सरकार को ऐसे पूर्व-संवर्ग पदों को संभालने के लिए संवर्ग अधिकारियों की अस्थायी और अप्रत्याशित मांगों के लिए सहायता प्रदान करना है, जो अल्पावधि के लिए अस्थायी रूप से आवश्यक हैं और जो आई. ए. एस. संवर्ग में शामिल होने के योग्य नहीं हैं। नाम से ही पता चलता है कि इसका उद्देश्य अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करना है, जैसे ही यह पता चलता है कि वे कुछ समय तक जारी रहेंगे, कैडर में दीर्घकालिक पदों को लाया जा रहा है।

1.6 चयनित सूचियों का उद्देश्य चयनित राज्य सेवा अधिकारियों की एक तैयार सूची प्रदान करना है, जिन्हें किसी विशेष वर्ष के दौरान पदोन्नति कोटे में होने वाली रिक्तियों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसका उपयोग अल्पकालिक रिक्तियों को भरने और अस्थायी आधार पर किसी भी छोटी आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका कभी भी कैडर या पूर्व-कैडर समकक्ष पदों में दीर्घकालिक रिक्तियों के संचालन के लिए एक समानांतर कैडर बनने का इरादा नहीं रहा है।

1.7 यदि संवर्ग की वृद्धि की सामान्य दर और योजना आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संवर्ग की संख्या पर्याप्त रूप से निर्धारित की गई है। और यदि संवर्ग में भर्ती पर्याप्त पैमाने पर हुई है, तो चयन सूची अधिकारियों द्वारा संवर्ग पदों को भरने की आवश्यकता शायद ही कभी उत्पन्न होनी चाहिए। लंबे समय तक भूतपूर्व संवर्ग के पद नहीं होने चाहिए। यदि कोई है, तो उन्हें कैडर में जाना चाहिए। अल्पकालिक एक्स-कैडर पदों के लिए, कैडर में प्रतिनियुक्ति आरक्षित पर्याप्त होना चाहिए। यदि पूर्व संवर्ग के पदों और प्रतिनियुक्ति आरक्षित की संख्या के बीच असंतुलन है तो इसका निवारण या तो पूर्व संवर्ग के पदों की संख्या कम करके या प्रतिनियुक्ति आरक्षित बढ़ाकर किया जा सकता है।

1.8 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती दर की पर्याप्तता सरकार के उचित कामकाज और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे सुनिश्चित करने के लिए दो उपायों की आवश्यकता है। पहला, विस्तारित अवधि तक चलने वाले नए पदों की शीघ्र भर्ती और दूसरा, पिछले अनुभव और भविष्य की योजनाओं के आधार पर भविष्य की जरूरतों का पहले से आकलन करना है। दोनों आवश्यकताओं में से किसी एक में विफलता कैडर संख्या की पर्याप्तता को प्रभावित करेगी, जिससे आज कुछ राज्यों को तनाव और तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

1.9 एक बार जब त्रैवार्षिक समीक्षा में संवर्ग की संख्या निर्धारित हो जाती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अधिक बार किया जा सकता है, तो वार्षिक भर्ती की दर दो या तीन वर्षों के भीतर सभी पदों को भरने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। कुछ राज्यों में भर्ती दर काफी

कम रही है जिसके परिणामस्वरूप कैडर में वर्षों से अंतराल बना हुआ है और कैडर की कमी को पूरा करने के लिए लंबी चयन सूचियों की आवश्यकता होती है। इसके दो गुना नुकसान हैं; यह प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता को प्रभावित करता है और राज्य सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं की योजना में प्रदान की गई आशाओं और अपेक्षाओं से परे आशा और अपेक्षाएं विकसित करते हैं।

(56) इन निर्देशों से भी भारत सरकार की मंशा स्पष्ट है और हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसे भी पूरा समर्थन मिलता है। सेवाओं के उचित संचालन के लिए, सभी नियमों और विनियमों के सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। यदि एक नियम को अलग-अलग और अन्य नियमों और विनियमों से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाता है, तो चौंका देने वाले और भ्रमित करने वाले परिणाम आने की संभावना है। यदि हम श्री गुप्ता की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि आबंटन के वर्ष का निर्धारण करने के लिए किसी अन्य उपबंध पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और केवल वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (3) (ख) के उपबंधों पर ध्यान दिया जाना चाहिए तो अन्य सुसंगत नियमों और विनियमों के उपबंध निरर्थक हो जाएंगे। नियमों और विनियमों को तैयार करते समय अटकलों पर कुछ नहीं छोड़ा गया है। यदि राज्य सरकारों को लगता है कि निर्धारित कोटे से अधिक व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता है, तो हमेशा संवर्ग की संख्या बढ़ाने की मांग हो सकती है। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब सेवा के उचित कामकाज को पूरा करने के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना बेतरतीब ढंग से काम किया जाता है, जैसा कि वास्तव में तत्काल मामले में हुआ है।

(57) यह देखा जा सकता है कि यह कभी भी तर्क नहीं दिया गया था कि चार वर्ष से कम की सेवा वाले आई. पी. एस. अधिकारियों को राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संबंध में, राज्य सरकार द्वारा एक आई. पी. एस. अधिकारी को राज्य में एक वरिष्ठ पद पर काम करने की अनुमति नहीं देने का एक प्रशासनिक निर्णय लिया गया था, यदि उसके पास चार वर्ष से कम की सेवा है और वह निर्णय स्पष्ट रूप से उचित प्रतीत होता है क्योंकि सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। श्री सिब्बल ने राज्य सरकार के इस निर्णय को चुनौती नहीं दी और यदि इस निर्णय के कारण किसी चयन सूची अधिकारी को किसी वरिष्ठ पद पर नियुक्त करने की अनुमति दी गई है, तो वह ऐसे कार्यपालन के लाभ का हकदार है यदि यह नियम 3 (3) (ख) की पूर्व-अपेक्षाओं को पूरा करता है बशर्ते कि यह अति उपयोग का मामला न हो।

(58)बड़े मुद्दे पर उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, अगली बात यह है कि मामलों के तथ्यों पर इसके प्रभाव का पता लगाना है। श्री सिब्बल का मुख्य तर्क था कि उत्तरदाताओं को 'वरिष्ठ पदों' पर कार्य करने के लिए नहीं बनाया जा सकता था, बल्कि इस तथ्य के लिए कि राज्य सरकार ने केंद्रीय और प्रतिनियुक्ति आरक्षित कोटा का अत्यधिक उपयोग किया और उत्तरदाताओं के इस तरह के कार्यपालन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। अपने इस तर्क को बल देने के लिए श्री सिब्बल ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 41, नियम 27 के अधीन अभिलेख पर अतिरिक्त दस्तावेजों, अनुलग्नक पी-1 और पी-2 को लाने की अनुमति के लिए दायर 1974 की सिविल विविध संख्या 9204 का संदर्भ दिया। अनुलग्नक पी-1 से, यह साबित करने की मांग की गई थी कि प्रतिवादियों को केंद्रीय और प्रतिनियुक्ति आरक्षित कोटा का अधिक उपयोग करके 'वरिष्ठ पदों' पर कार्य करने के लिए बनाया गया था। बहस के दौरान कुछ पत्रों की प्रतियां भी पेश की गईं। दूसरी ओर श्री गुप्ता ने अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने का पुरजोर विरोध किया और

अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि वर्तमान फाइल में इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उत्तरदाताओं ने अति उपयोग के परिणामस्वरूप 'वरिष्ठ पदों' पर कार्य किया।

(59) पूरे मामले पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, मेरी राय है कि वर्तमान सामग्री पर इस विवाद का निर्णय करना संभव नहीं होगा और इस स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देना उचित और न्यायसंगत नहीं होगा। तथापि, चूंकि केन्द्र सरकार ने आबंटन के वर्ष को, जो सरकार के लिए आवश्यक था, निर्धारित करने में अतिउपयोग के पहलू और उसके प्रभाव पर विचार नहीं किया है, इसलिए मैं यह उचित समझता हूं कि निर्णय के पूर्व भाग में प्राप्त टिप्पणियों और निष्कर्षों के आलोक में और पूरी तरह से चर्चा किए जाने पर पूरे मामले को पुनः निर्णय लेने के लिए केन्द्र सरकार को वापस भेजा जा सकता है। इस स्थिति में पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा चर्चा किए गए अन्य बिंदुओं में जाना अनावश्यक होगा क्योंकि आवंटन के वर्ष के समनुदेशन के मुद्दे पर निर्णय लेते समय केंद्र सरकार को फिर से उन पर विचार करना होगा।

(60) ऊपर अभिलिखित कारणों से, बी. आर. कपूर द्वारा दाखिल 1973 का एल. पी. ए. 609 खारिज कर दिया गया है, जबकि 1973 का एल. पी. ए. संख्या 634,659,672,633,671 और 694 अनुज्ञात हैं और केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह उन सभी आई. पी. एस. अधिकारियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद इस निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में आवंटन के वर्ष के समनुदेशन के प्रश्न पर फिर से निर्णय करे जिनकी वरिष्ठता इस निर्णय के अनुसरण में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होने की संभावना है। इन ही कारणों से सुखपाल सिंह द्वारा दायर 1973 की सिविल रिट संख्या 3396 का भी निपटारा कर दिया गया है। मामले की परिस्थितियों में, मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता।

आर. एस. नरूला, सी. जे - मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा